रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48 नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28, 1970 (अग्रहायण 7, 1892)

No. 48 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28, 1970 (AGRAHAYANA 7, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	945
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1469
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1449
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	4279
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	5297
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . .	699
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	1355
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	457
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	173
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	2247
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	207
पूरक संख्या 48—	
21 नवम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट .	1979
31 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1991

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	945
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1469
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1449
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4279
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	5297
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	699
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1355
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	457
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	173
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2247
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	207
SUPPLEMENT No. 48	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 21st November 1970	1979
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 31st October, 1970	1991

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1970

सं० 8/66/70-के. से. (II)—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड IV के अवर श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्त स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक विभाग नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड के रिक्त स्थानों के लिए प्रतियोगिता करने के पात्र समझे जाएंगे :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में कार्य कर रहे,

(ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अंतः सेवा संगठनों में नियुक्त हैं, और

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) की ग्रेड VI, में यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेशों में इसकी मिशनों में नियुक्त हैं ।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने के लिए रिक्त स्थानों की संख्या मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा जारी की जाने वाली सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी । अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित किए जाने के अनुसार किए जाएंगे ।

अनुसूचित जातियों/ आदिम जातियों का अर्थ, अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों की सूची (अधिसूचना) आदेश, 1956 अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के (संशोधन) अधिनियम, 1956 संविधान में (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति के आदेश, 1956, संविधान मे (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान में (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान में (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान में (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) के आदेश 1967, संविधान में (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति के आदेश, 1968 तथा संविधान में (गोआ, दमन दीव) अनुसूचित आदिम जातियों के 1968 के साथ पठित आदेश में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से कोई सी जातियां ।

3. इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा परीक्षा ली जायगी ।

4. दिल्ली और विदेशों में भारतीय निर्धारित मिशनों में किस तारीख और किन स्थानों पर परीक्षा ली जायगी, इसको सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल नियत करेगा ।

5. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :—

1. **सेवा-अवधि** :

इसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अथवा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा अन्तः सेवा संगठनों अथवा विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसकी मिशनों में किसी उच्च ग्रेड में 1 जनवरी, 1971 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो ।

टिप्पणी-1 :—यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय अथवा कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में आंशिक रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम किया हो और आंशिक रूप में अन्यत्र उसके समकक्ष या उच्च ग्रेड या विदेश मंत्रालय और इसके विदेशों में मिशनों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम किया हो तो अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा भी लागू होगी ।

टिप्पणी-2 :—जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग वाह्य पदों में प्रतिनियुक्ति

पर हैं वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग-बाह्य पद पर नियुक्त किया गया है अथवा स्थानान्तरण पर अन्य सेवा में हैं और फिलहाल चतुर्थ श्रेणी के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

2. **आयु**

वह 1 जनवरी, 1971 को 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात् 2 जनवरी 1931 से पहले उसका जन्म न हुआ हो। भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड VI में नियुक्ति के लिए विदेश मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 1 जनवरी, 1971 को 45 वर्ष तक होगी। 45 वर्ष तक की आयु-सीमा केवल 1971 की परीक्षा के लिए होगी। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु-सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

3. **शैक्षिक अर्हता**

उम्मीदवार ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास की हो या निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों में से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो :—

(i) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लिविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के दिए जाने के लिए ली गई कोई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मानती हो।

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज),

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(v) दिल्ली पोलीटैक्नीक के तकनीकी हायर सैकन्डरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(vi) भारत में किसी मान्यता प्राप्त हायर सैकन्डरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सैकन्डरी पाठ्य-क्रम/मल्टीपरपज पाठ्य-क्रम (जो किसी उम्मीदवार को 3 वर्ष के डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश पाने के योग्य बनाता हो) के उपान्तिम वर्ष में ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण,

(vii) इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(viii) अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्य-क्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(ix) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए,

(x) बंगाल (साइंस) स्कूल सार्टिफिकेट,

(xi) नेशनल काउन्सिल आफ ऐजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्), जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैन्डर्ड परीक्षा,

(xii) गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की "विनीत" परीक्षा,

(xiii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेन्च परीक्षाएं :— (1) ब्रीवे एलीमेन्ट्यर (ii) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियर द लांग एंदियन (iii) ब्रीवे द एत्यूद टू यू प्रीमियेर सिक्ल (iv) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर द लोंग इंदियेन और (v) ब्रीवे द लांग इंदियेन (वर्नाक्यूलर),

(xiv) गोआ, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा "लाइसियूम" के पांचवें वर्ष में पास,

(xv) इंडियन आर्मी, स्पेशल सार्टिफिकेट आफ एजुकेशन,

(xvi) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन टैस्ट,

(xvii) एडवांसड क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(xviii) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xix) पूर्वी बंगाल, उच्चतर शिक्षा बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र,

(xx) पूर्वी पाकिस्तान स्थित कोमीला, राजशाही/खुलना के उच्चतर शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए उच्चतर स्कूल के प्रमाण पत्र,

(xxi) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xxii) एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा (बर्मा),

(xxiii) बर्मा हाई स्कूल फाइनल परीक्षा प्रमाण पत्र,

(xxiv) शिक्षा विभाग, बर्मा की एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल परीक्षा, (युद्ध पूर्व),

(xxv) साधारण स्तर पर लंका की जनरल सार्टिफिकेट आफ एजुकेशन नामक परीक्षा यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छह विषयों में पास की गई हो,

(xxvi) बर्मा का पोस्ट वार स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट,

(xxvii) साधारण स्तर पर लंदन के ऐसोसिएटेड ऐक्जामिनेशन बोर्डस की जनरल सार्टिफिकेट आफ ऐजूकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो,

(xxviii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर / सैकेन्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(xxix) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विषयो में से एक विषय अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ठ परीक्षा।

टिप्पणी-1:—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वाली-फाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो वे भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि यह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। अन्य शर्तें पूरी होने पर ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तिम मानी जायेगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण यथा शीघ्र और हर हालत में इस परीक्षा के शुरु होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने में प्रस्तुत नही करते हैं तो वह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी।

टिप्पणी-2.—कुछ आपवादिक मामलों में, स्कूल किसी ऐसे उम्मीदवार को स्कूल अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नही है, बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है, जो स्कूल की राय में परीक्षा में बैठने के लिए उचित है।

6. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, या संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी न हो, या संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमन और दीव का निवासी न हो, या कैन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करके न आया हो, वह प्रतियोगिता में तीन से अधिक बार नहीं बैठ सकेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध वर्तमान परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी :—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जायगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा मे बैठा हो।

7. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में स्कूल का निर्णय अन्तिम होगा।

8. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास स्कूल का प्रवेश पत्र न हो।

9. यदि कोई उम्मीदवार स्कूल द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या किया गया हो कि उसने दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रलेख अथवा ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई है या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों का प्रयोग किया है या प्रयोग करने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई दुर्व्यवहार किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाए जाने के अतिरिक्त :—

(क) स्कूल उसे उम्मीदवारों के चुनाव के लिए स्कूल द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(ख) उपयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

10. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

11. परीक्षा के बाद अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंको के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से तीन अलग-अलग सूचियां बनाएगा, और उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर क्रमश: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड VI में भरे जाने के लिए निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवार परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए स्कूल सिफारिश करेगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किसी उम्मीदवार ने किसी सेवा/पद के लिए स्कूल द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त न की हो, फिर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उस सेवा/पद में, आरक्षित रिक्त स्थानों पर, यथा स्थिति यदि अयोग्य नहीं पाया गया हो, तो नियुक्ति के लिए सिफारिश कर दी जायगी ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, अर्हक परीक्षा नहीं । परीक्षा के परिणाम के आधार पर निम्नश्रेणी ग्रेड के लिए प्रवर सूची में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है । इसलिए इस परीक्षा में निष्पादन के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकार के रूप में कोई उम्मीदवार दावा नहीं कर सकेगा ।

12. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय स्कूल अपने विवेकानुसार करेगा और स्कूल परिणामों के संबंध में उनसे कार्य पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

13. जब तक आवश्यक जांच के बाद सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

14. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनके बारे में नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी :—विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जायेगा ।

15. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी का कोई आवधिक टंकण परीक्षा पहले ही पास न की हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा, ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जायेगी ।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जायेगा ।

टिप्पणी-1 :—परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास कर लेता है, तो उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाय छः महीने के बाद ही दी जायेगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जायेगा ।

टिप्पणी-2 :—टिप्पणी-1 में उल्लिखित रियायत के अतिरिक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां जो अगली वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट कर ली जाएंगी, उसे दी जायेगी जो नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष में अंग्रेजी में 40 शब्द अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेगा ।

16. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने चतुर्थ श्रेणी पद की नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा या सेवाएं छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है । अथवा वह संवर्ग बाह्य पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त किया जाता है और चतुर्थ श्रेणी पद पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह बात उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

एम० के० वासुदेवन
अवर सचिव

परिशिष्ट

1. परीक्षा के विषय, समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित अनुसार होंगे :—

विषय		अधिकतम अंक	स्वीकृत समय
(i) सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध			
(क) लघु निबन्ध	100	300	3 घंटे
(ख) सामान्य अंग्रेजी	200		
(ii) सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल सहित		100	2 घंटे

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताए गए अनुसार होगा ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (i) का विषय (क) अथवा प्रश्न-पत्र (ii) अथवा दोनों का उत्तर अपनी इच्छानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखने की अनुमति होगी । सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (i) के विषय (ख) का उत्तर केवल अंग्रेजी में देना चाहिए ।

टिप्पणी-1 :—पूर्ण प्रश्न-पत्र के लिए प्रश्न चुनने की अनुमति होगी न कि उसी पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी-2 :—जो उम्मीदवार उक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों उन्हें आवेदन पत्र के कालम 18 में स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा बतानी चाहिए । अन्यथा यह अनुमान कर लिया जाएगा कि वे अंग्रेजी में उत्तर लिखेंगे ।

4. उम्मीदवार को उत्तर अपने हाथ से लिखना चाहिए । उन्हें किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिए किसी भी सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी विषय अथवा सभी विषयों के पास होने के अंक निर्धारित करेगा ।

6. अधिक सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए लिखित विषयों के लिए अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में क्रमबद्ध प्रभावी तथा यथार्थ और साथ ही साथ कम शब्दों में अभिव्यक्ति के लिए विशेष ध्यान और अंक दिये जाएंगे ।

अधिसूची

साधारण अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध :

(क) लघु निबन्ध : कुछ निर्दिष्ट विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना ।

(ख) सामान्य अंग्रेजी : उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की परीक्षा ली जाएगी ।

(1) आलेखन,

(2) सार-लेखन,

(3) प्रयुक्त व्याकरण, और

(4) आरम्भिक सारणीकरण (सारणी के रूप में आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थापन और प्रस्तुतीकरण के कार्य की उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करने के लिए ।

सामान्य ज्ञान भारतीय भूगोल सहित

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन अवलोकन और अनुभव होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न-पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1970

सं० 8/70/70 सी० एस०-2—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1971 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम जन-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक सब-केडर का (ग्रेड II) ।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II ।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II (ग्रेड की चयन-सूची में सम्मिलित करने के लिए) ।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II ।

(v) निर्वाचन आयोग, दिल्ली के कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद ।

(vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली के कार्यालय में आशुलिपिकों के पद ।

(vii) संसद कार्य विभाग दिल्ली में आशुलिपिकों के पद ।

(viii) पर्यटन विभाग दिल्ली में आशुलिपिकों के पद ।

(ix) अनुसंधान डिजायन तथा मानक संगठन लखनऊ के महानिदेशालय में आशुलिपिकों के पद ।

(x) आयुध निर्माणी के महानिदेशालय, कलकत्ता में आशुलिपिकों के पद ।

(xi) भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भाग न लेने वाले भारत सरकार के विभागों तथा अधीन संबद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद ।

उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक या एक से अधिक से संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिए यदि कोई उम्मीदवार आवेदन दे सकता है । इन सेवाओं/पदों में से जितनों के लिए भी वह उम्मीदवार होना चाहे अपने आवेदन-पत्र में उनका निर्देश कर सकता है ।

टिप्पणी 1—उम्मीदवारों को चाहिये, कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता करना चाहते हैं उनका प्राथमिकताक्रम स्पष्टतः लिख दें । उम्मीदवार द्वारा प्रारंभ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 31 अगस्त, 1971 को या उससे पहले न मिल जाये, विचार नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी 2—इस परीक्षा के आधार पर भर्ती करने वाले भारत सरकार के कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी के आशुलिपिकों की आवश्यकता होगी, और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर इन विभागों कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्तियां केवल उन व्यक्तियों में से की जायेंगी जो अंग्रेजी में लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिकी परीक्षाओं के आधार पर

आयोग द्वारा सिफारिश किए जायेंगे (नियमों के परिशिष्ट के पैरा 3 के संदर्भ में)

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, वर्मा, लंका और कैन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) इन पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता-प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तब से साधारणत: भारत में ही रह रहे हैं।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने आपको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर चुके हैं।

(iii) ऊपर की (घ) श्रेणी के वे गैर नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं। परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, तो उसे औरो की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग) (घ) और (ङ) श्रेणियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) (आशुलिपिकों के सब केडर के ग्रेड-II में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे)।

किसी उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यदि सरकार आवश्यक प्रमाण पत्र देदे तो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अनन्तिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरि का या संघ राज्य क्षे गोवा, दमन और दियू का निवासी न हो, या कैन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन कर के न आया हो वह परीक्षा में दो बार से अधिक प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा, किन्तु यह प्रतिबंध सन् 1962 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करे तो, इस नियम के प्रयोजन के लिये उस उम्मीदवार की परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 2—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जायगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी है कि 1 जनवरी, 1971 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 साल की हो गई हो और पूरे 24 साल की न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1947 से पहले और 1 जनवरी, 1953 के बाद न हुआ हो।

(ख) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक की छूट दे दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों में आशुलिपिकों (इसमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है)। लिपिकों (आशु-टंककों) के पदों पर नियुक्त है और 1 जनवरी, 1971 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की है, तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं।

परंतु उपर्युक्त आयु संबंधी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किये जा चुके हैं :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II, या

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, या

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख), या

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा।

टिप्पणी :—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिये लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

(ग) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो, और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 से भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दियु का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष,

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम आठ वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश में झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से रिलीज्ड रक्षा-सेवा-कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष,

(xii) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियाँ करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से रिलीज्ड ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के मामलों में, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो, अधिकतम 8 वर्ष तक ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर विहित आयु सीमाओं में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जायेगी ।

ध्यान दें :—(i) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5(ख) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि वह आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । लेकिन यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाय तो वह पात्र बना रहेगा ।

(ii) किसी आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत) लिपिक/आशुटंक जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किसी संसर्ग पद (एक्स-कैडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, तो उसे परीक्षा में बठने दिया जायगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो ।

6. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो, और उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र हो :

(i) भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा,

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अंत में शालान्त (स्कूल लिविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के दिये जाने के लिये, जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई परीक्षा,

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमान पत्र परीक्षा (सीनियर) कैम्ब्रिज),

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(v) श्री अरबिंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम या दसवीं का प्रमाण पत्र,

(vi) दिल्ली पोलीटैक्निीक के तकनीकी हायर सैकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(vii) मान्यता प्राप्त हायर सैकेंडरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सैकेंडरी पाठ्यक्रम/मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी उम्मीदवार को 3 वर्ष के लिये

डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश के लिए योग्य बनाता हो) के उपान्तिम वर्ष ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण,

(viii) मान्यता-प्राप्त उस स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र जो इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को पढ़ाता है,

(ix) जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिये,

(x) बंगाल (विज्ञान) स्कूल सार्टिफिकेट,

(xi) नेशनल काउन्सिल आफ एजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैंडर्ड परीक्षा,

(xii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं,
(i) ब्रीवे एलिमेंतेयर (ii) ब्रीवे द "एंसीमा" प्रीमियर द लांग इंदियेन (iii) ब्रीवे दे एल्यूदद्यू प्रीमयेर सीवल (iv) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर दे लांग इदियेन और (v) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वर्नाकूलर),

(xiii) इंडियन आर्मी स्पैशल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(xiv) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशनल टैस्ट,

(xv) एडवांस्ड क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(xvi) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xvii) ईस्ट बंगाल सकेण्ड्री एजुकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र,

(xviii) कोमीला/राजशाही/खुलना (पूर्वी पाकिस्तान) के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र,

(xix) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xx) एंग्लो वर्नाकूलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट बर्मा,

(xxi) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सार्टिफिकेट

(xxii) शिक्षा विभाग बर्मा (युद्ध पूर्व) की एंग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा,

(xxiii) बर्मा का पोस्ट वार स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट,

(xxiv) गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की "वीनित" परीक्षा,

(xxv) गोआ, दमन और दियु की पुर्तगाली परीक्षा" बाह सियूम के पांचवें वर्ष में पास,

(xxvi) "सामान्य" स्तर पर लंका की जनरल सार्टिफिकेट आफ एजुकेशन नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथाहै गणित और सिंहली या तमिल समित छः विषयों में पास की गई हो।

(xxvii) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोशियेटेड एंग्जामिनशन बोर्ड्स की जनरल सार्तिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो ;

(xxiii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर सैकेण्ड्री तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(xxix) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित), या पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) और वाराण्सेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, के विषयों के अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ट परीक्षा।

टिप्पणी—1 : यदि कोई उम्मीदवार एसी परीक्षा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, दे चुका हो, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति है वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले पूरी हो जाए। ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की दी सकेगी।

टिप्पणी—2 : किन्हीं आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके पास इस नियम में विहित उपाधि नहीं है संघ लोक सेवा आयोग अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बशर्ते कि उसने किन्हीं और संस्थाओं की ऐसी परीक्षाएं पास की हुई हों जिनका स्तर, आयोग की राय में, परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यायोचित है।

7. जिस व्यक्ति ने] :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी रखते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह अनुबन्ध किया है तो सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाहित व्यक्ति के दूसरे पक्ष के लिए प्रवृत्त व्यक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार्य है और उसको इस नियम से छूट न दे दे।

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया हो भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे होंगे वह भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने के

लिए अपने विभाग अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी :—अशक्त भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डीमोबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थ्यता प्रमाणपत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

12. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञप्ति के अनुबंध दो में विहित फीस देनी होगी ।

13. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकेगा ।

14. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से, अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किए हैं जिनमें कोई हेरा फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोजीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) आयोग उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए :—

(i) आयोग उम्मीदवारों के चुनाव के लिए उसके द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, अपने अधीन नियुक्त होने से रोक सकती है,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

15. भारत सरकार जैसा निश्चित करे, उस तरह से निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवाव के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है, संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियों) (भाग ग राज्य) आदेश 1950, तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की अनुसूचितयों (आशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूजित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 में उल्लिखित कोई जाति/आदिम जाति ।

16. परीक्षा के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आयोग उनकी एक वरिष्ठता के क्रम से सूची बनाएगा और क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिरणामों के आधार पर भरे जाने वाले अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए के लिए अपेक्षित संख्यातक के नाम भेजे जाएंगे ।

यह व्यवस्था की जाती है कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई उम्मीदवार किसी सेवा/पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर प्राप्त न भी कर सका हो परन्तु केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अथवा अन्य किसी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समझा जायेगा तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और अन्य सेवाओं /पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित अन्य सेवाओं/पदों में नियुक्ति के लिए उनके नाम भेजे जायेंगे ।

17. आवेदन-पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकताओं को परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियों करते समय समुचित रूप से ध्यान में रखा जायेगा ।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए ? इसका निर्णय आयोग अपने

विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इस के लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

20. उन सेवाओं/पदों के बारे में, जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, संक्षिप्त ब्योरा परिशिष्ट II में दिया गया है।

एम० के० बासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट-I

1. परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1. अंग्रेजी . .	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान . .	3 घंटे	100

भाग ख——हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए) 300 अंक

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन पर लिप्यंतृ करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकन मशीन लानी होगी।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशु लिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुचीसू में दिए गए अनुसार होगी।

3. उम्मीदवार लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प कर सकते हैं। यह विकल्प पूर्ण प्रश्न पत्र के लिए लागू होगा न कि उसमें किसी भाग के लिए।

जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र हिन्दी में लिखने का विकल्प करेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल हिन्दी में लिखना होगा, और जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र अंग्रेजी लिखने का विकल्प करेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल अंग्रेजी में लिखना होगा।

टिप्पणी 1—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान का II प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 8 में लिखें। अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी-2—जो उम्मीदवार उपर्युक्त संख्या 3 पैरा के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, और सामान्य ज्ञान के II प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षाएं विदेश में किसी भारतीय मिशन, में जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबंध हों, परीक्षा देनी पड़ सकती है।

4. लिखित परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र (I) का उत्तर सही उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है।

5. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाली उम्मीदवारों से क्रम से ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए कुल अंकों के अनुसार, पारस्परिक प्रवरता अनुक्रम से रखा जाएगा (निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख को देखें)।

6. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

8. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्युनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से, 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगें।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात की विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी : भाग "क" के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग सही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

अंग्रेजी : यह प्रश्न-पत्र इस रूप से तैयार किया जायेगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी—व्याकरण और निबन्ध-रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कोशल को ध्यान में रखा जायेगा। इस प्रश्न-पत्र में निबन्धलेखन, सार-लेखन, मसौद-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और उपसर्ग (प्रीपोजीशन), डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किये जा सकते हैं।

सामान्य ज्ञान : निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी:— भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृतिक, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिये । उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिये कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है । उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नही की जाती ।

भाग-ख

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होगी—एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

हिन्दी मे आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होगी—एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे ।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है ।

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं ।

चयन ग्रेड :—रु० 350–25–500–30–590 द० अ० 30–800–द० अ० 30–830 35–900 (ग्रेड I से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम रू० 500 का प्रारम्भिक वेतन दिया जाता है) ।

ग्रेड-I रु० 350–25–650– द० अ० 30–770 (ग्रेड II से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम रु० 400 का प्रारम्भिक वेतन दिया जाता है) ।

ग्रेड-II रु० 210–10–270–15–300 द० अ०–15–450–द० अ०–20–530 ।

ग्रेड-III रु० 130–5–160–8–200 द० अ० 256 द० अ० 8–280 ।

(2) सेवा के ग्रेड I में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं ।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति की उसके पद पर पुष्टि कर सकती है या यदि उस की कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि और जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(4) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा । किन्तु उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है ।

(5) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चत्तर ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे ।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड II में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जायेगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे ।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(क) भर्ती प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय में नियुक्त आशुलिपिकों की सेवा शर्तें—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के अधीन होंगी जो भूतपूर्व केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक—योजना के आधार पर बनाई गई है । इस योजना को अब केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों के आधार पर (जो हाल ही में जारी किये गये हैं) और संशोधित किया जा रहा है ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मचारियों के समान अन्य मन्त्रालयों में इस मंत्रालय के कर्मचारियों का तबादला नहीं होता ।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन सम्बन्धी लाभो के भागी होंगे और

(ii) अंशदायी राज्य रेलवे भविष्यनिधि में उस निधि के उन नियमों के अधीन जो सेवा में शामिल होने की तिथि से रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं, अंशदान देंगे ।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा मे नि-
किये गये उम्मीदवारो समय-समय पर रेलवे
द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार
और विशेषाधिकार-टिकट आदेशों के पा

(ङ) जहां तक छुट्टियों और सेवा की अ
हैं रेलवे बोर्ड सचिवालय अ
सम्मिलित कर्मचारियों को रे
के समान ही समझा जा
सबंधी सुविधाओं के f
होंगे जो उन अन्

पर लागू होते हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड–II ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग के ग्रेड II का वेतन क्रम 210–10–170–15–300–द०अ०–15–450–द०अ०–20–530 रु० है। भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप संवर्ग के ग्रेड II में नियुक्त अधिकारियों पर, भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" (आर०सी०एस०पी०) नियम 1964 तथा भारतीय विदेश सेवा (पी०एल०सी०ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा "ख" पर लागू होते हैं, तथा अन्य ऐसे नियम तथा आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं, लागू होंगे ।

भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तक ही सीमित है । इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की बदली आम तौर पर विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय (विदेश व्यापार विभाग) के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों में नहीं की जा सकती । हां वे अन्य मंत्रालयों के स्टाफ के लिए रखे गये पदों पर विदेश में कहीं भी नियुक्त किये जा सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों आदि में भी लगाये जा सकते हैं । उन्हें भारत में या इससे बाहर और नान-फैमिली स्टेशनों में भी लगाया जा सकता है ।

विदेश में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को अपने मूल वेतन के अलावा संबंधित देशों के निर्वाह खर्च को देखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है । इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा (पी०एल०सी०ए०) नियम, 1961 (जो कि भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू होते हैं, के अनुसार उन्हें विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार निःशुल्क फर्नीचर सहित मकान ।

(ii) सहायित चिकित्सा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधायें ।

(iii) कुछ शर्तों के अधीन 8 से 21 वर्ष तक की आयु के भारत में शिक्षा पाने वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार लम्बी छुट्टियों के दौरान माता पिता से मिलने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया ।

(iv) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धरित दरों पर 5 से 18 वर्ष तक की आयु के अधिक-से-अधिक दो बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता ।

..त्र-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर
: विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के संबंध में
भत्ता । जिन अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे देशों
नी है कि जहां असामान्य रूप से ठंड पड़ती है,
य सज्जा भत्ता के अलावा विशेष सज्जा
ज़ाता है ।

अनुसार अधिकारियों तथा उनके
ो में घर जाने का यात्रा व्यय ।

सेवा के सदस्यों पर, कुछ आशोधनों के साथ, समय-समय पर यथा परिशोधित छुट्टी नियम 1933 लागू होंगे । कुछ पड़ोसी देशों को छोड़ कर अन्य देशों में नियुक्त अधिकारी-विदेश सेवा के लिए, परिशोधित छुट्टी नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा के हकदार होंगे ।

भारत में रहते हुये अधिकारी अपने समान तथा उसी स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य रियायतों के हकदार होंगे ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 तथा उनके अधीन जारी किये गये आदेश लागू होते हैं ।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर समय-समय पर यथा-संशोधित उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के तथा उसके अधीन जारी किये गये आदेश लागू होते हैं ।

टिप्पणी :—भारतीय विदेश सेवा 'ख' में आशुलिपिकों का सब-काडर फिर से गठित किया जा रहा है ।

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

आशुलिपिक ग्रेड–I (श्रेणी II राजपत्रित) रु० 350–25–650;

आशुलिपिक ग्रेड–II (श्रेणी II अराजपत्रित) रु० 210–10–270–15–300–द०अ०–15–450–द०अ०–20–530 । ग्रेड I के दरों की भरती ग्रेड II के आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा की जाती है सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में की जाती है ।

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड II के रूप में सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि में उनकी असंतोषजनक सेवा के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को सेवा से निकाला जा सकता है । परिवीक्षा के दौरान किसी कर्मचारी को सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना और विहित टैस्ट पास करने पड़ सकते हैं ।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए आशुलिपिक ग्रेड II आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तसेवा संगठनों में किसी एक में नियुक्त किये जायेंगे । किन्तु उनकी बदली दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर ऐसे नगरों में भी की जा सकेगी जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंत: सेवा संगठनों के कार्यालय स्थित हों ।

4. आशुलिपिक ग्रेड II समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड I के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तसेवा संगठनों में नियुक्त अन्य सचिवालयिक कर्मचारियों पर लागू होती है ।

भारतीय चुनाव आयोग

चुनाव आयोग में आशुलिपिकों के पदों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समान ही 210–10–270–15–300–द०अ०–15–450–द०अ०–20–530 रु० होगा। किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल नहीं हैं। और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई दावा न कर सकेंगे।

भारतीय चुनाव आयोग में इस समय निम्नलिखित श्रेणी के आशुलिपिक हैं :—

(i) भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव :–

350–25–500–30–590–द० अ० – 300 – 800–द०अ०–30–830–35–900 रु० के वेतनमान में (इस पद पर पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों को इस वेतन मान में कम से कम 500 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

') वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक :

350–25–650–द०अ०–30–770 रु० के वेतन मान में
दोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 400 रु०
मास वेतन दिया जाता है) ।

पिक :

0–10–270–15–300–द०अ०–15–450–
0 रु० के वेतन मान में ।

– 200 द० अ०–8–256–द० अ०–
में।

शुलिपिक सेवा योजना में शामिल
ए गए व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय
लित पदों पर नियुक्ति का कोई
ा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष
धीन रहेंगे।

30 रु० के वेतन मान में निर्धारित प्रतिशत स्थान
3 के व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जा सकेंगे। 210–
30–रु० के वेतन मान में आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परिवीक्षा के दौरान आयोग द्वारा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना और विहित परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। वह व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

च—पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग में वरिष्ठ आशुलिपिकों के पद 210–10–190–15–320–द०अ०–15–425 के परिशोधित वेतनमान में स्वीकृत हैं और सामान्य केन्द्रीय सेवा (श्रेणी–II) (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय से संबंधित हैं। कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ आशुलिपिक 320–15–470–द०अ०–15–530 रु० के वेतनमान में वैयक्तिक सहायकों के पद पर नियुक्त के पात्र होते हैं। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को आम तौर पर विभाग के मुख्यालय स्थापना में कार्य करना होगा। किन्तु उन्हें भारत में कहीं भी काम करने के लिए कहा जा सकता है।

छ—संसद कार्यविभाग

इस विभाग में आशुलिपिकों के पदों का वेतन मान 210–10–270–15–300–द० अ०–15–450–द० अ०–20–530 रु० है।

प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये चुनाव द्वारा सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

ज—भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में आशुलिपिकों के पदों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिकों के वेतन मान के समान अर्थात् रु० 210–10–270–15–300–द०अ०–15–450–द०अ०–20–530 है, परन्तु ये पद उस सेवा में सम्मिलित नहीं है।

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली 1, दिनांक 24 अक्तूबर 1970

शुद्धि पत्र

सं० एफ० 15/12/67 एस० डब्ल्यू० 5—कृपया इस विभाग के शुद्धि पत्र संख्या एफ० 15/12/67 एस० डब्ल्यु 5 दिनांक 12 मार्च, 1970 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखिए :—

"3. बोर्ड की रचना इस प्रकार होगी :—

1. श्री के० हनुमन्तैय्या, समाज कल्याण मंत्री।	अध्यक्ष
2. श्री जगन्नाथ राव, समाज कल्याण राज्य मंत्री।	उपाध्यक्ष
3. श्री पी० पी० आई० वैद्यानाथन, अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।	सदस्य
4. श्री एम० सी० नानावती, सलाहकार, समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।	सदस्य
5. जेल सम्बंधी मामलों का काम करने वाले गृह मंत्रालय के उप सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।	सदस्य
6. निदेशक, पुलिस अनुसंधान तथा विकास कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
7. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति, उप विधायी परामर्शदाता, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।	सदस्य

8. श्री एम० बी० भट्टाचार्य, सदस्य
जेलों के महा निरीक्षक,
पश्चिमी बंगाल ।

9. श्री डी० जी० जाधव, सदस्य
समाज कल्याण निदेशक,
महाराष्ट्र, पूना ।

10. श्री ई० एल० सर्वाकोटी सदस्य
जेलों के महानिरीक्षक,
तामिल नाडू ।

11. श्री एच० सी० सक्सेना, सदस्य
जेलों के महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

12. श्रीमती एस० वर्मा, सदस्य
निदेशक, सामाजिक रक्षा,
गुजरात ।

13. श्री आर० एस० खन्ना, सदस्य
समाज कल्याण निदेशक,
मध्य प्रदेश ।

14. श्री के० लक्ष्मण राव, सदस्य
निदेशक, समाज कल्याण,
मैसूर ।

15. श्री आर० पी० पुरी, सदस्य
जेलों के महानिरीक्षक,
पंजाब, चंडीगढ़ ।

16. श्री जे० जे० पानाकल, सदस्य
अपराध विज्ञान तथा सुधार
प्रशासन के मुख्याधिकारी,
टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसिज,
बम्बई ।

17. श्री सुशील चंद्र, सदस्य
समाज शास्त्र के प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय ।

18. श्री ए० वी० जोहन, सदस्य
जेलों के रिटायर्ड महानिरीक्षक,
अर्नाकुलम, कोचीन-15

19. श्रीमती सीता बसु, सदस्य
भूतपूर्व अवैतनिक मजिस्ट्रेट,
किशोर अदालत, सदस्य, फैकल्टी,
सामाजिक कार्य का दिल्ली स्कूल,
3, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली-6 ।

20. डा० (श्रीमती) ज्योत्सना एच० शाह, सदस्य मंत्री
निदेशक, सुधारात्मक सेवाओं का केन्द्रीय
ब्यूरो, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि पत्र की एक एक प्रतिलिपि समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद् कार्य विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि पत्र को साधारण सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० पी० आई० वैद्यानाथन, अपर सचिव

औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1970

संकल्प II

सं० 34(8)/68 एल० इण्ड (II) (i)—औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प सं० 34(8)/68 एल० इण्ड (ii) दिनांक 15 अक्तूबर, 1969 मे आंशिक रूप भेद करते हुए, 27 अप्रैल, 1970 के संकल्प को साथ पढ़ते हुए, कांच तथा मृतिका उद्योग की नामिका में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है:—

श्री ए० पी० सूर, डा० यू० पी० गांगुली के
निदेशक, स्थान पर ।
सूर उद्योग लिमिटेड,
163, लोवर सरकूलर रोड,
कलकत्ता—14

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० सुब्रमण्यन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1970

सं० 34(8)/68 एल० इण्ड (II) (2)—औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प सं० 34(8)/68 एल० इण्ड (ii) (2) दिनांक 15 अक्तूबर, 1969 में आंशिक रूप भेद करते हुए, 27 अप्रैल, 1970 के संकल्प को साथ पढ़ते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊष्म-सह उद्योग की नामिका में सदस्य के रूप में सम्मिलिति करने का निश्चय किया गया है:—

1. श्री पी० एस० सुन्दरम, सदस्य
अधीक्षक (ऊष्म-सह)
राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला (उड़ीसा)

2. श्री आई० सी० मोदी, सदस्य
सहायक अधीक्षक (ऊष्म-सह),
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र,
दुर्गापुर, (पश्चिम बंगाल)

3. डा० एम० आर० प्रसाद, सदस्य
अधीक्षक, ऊष्म-सह विभाग
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर ।

4. श्री डी० एन० बनर्जी, सदस्य
प्रबंधक, ब्रिक विभाग,
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड,
बर्नपुर ।

5. श्री एस० बांगला, सदस्य
विकास अधिकारी,
इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० सुब्रमण्यन, अवर सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1970

सं० 3-5/69 वन विकास—भूतपूर्व कृषि मंत्रालय में भारत सरकार के संकल्प संख्या 6-20/49 वन, दिनांक 19 जून, 1950 का आशोधन करते हुए, जैसा समय समय पर संशोधित किया गया है, भारत सरकार ने निश्चय किया है कि मेघालय राज्य के वन विभाग के प्रभारी मंत्री भी इसके अन्तर्गत गठित केन्द्रीय वन मंडल के एक सदस्य होंगे ।

आदेश

2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सब सम्बन्धितों को सूचित कर दी जाये ।

3. आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

सं० 3-5/69 वन विकास—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में भारत सरकार के संकल्प संख्या 3-4/66 वन विकास, दिनांक 5 जुलाई, 1966 का आंशिक आशोधन करते हुए, भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इसके अन्तर्गत गठित केन्द्रीय वन मंडल की स्थायी समिति सम्बन्धी वर्तमान प्रविष्टी '(iii) पूर्वी क्षेत्र" के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी :—

"(iii) पूर्वी क्षेत्र : बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा (स्थायी समिति से पूर्व की बैठकों के लिये नीफा को भी इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा) ।

आदेश

2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सब सम्बन्धितों को भेजी जाये ।

3. आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

आर० सी० सोनी, वन महा निरीक्षक तथा
पदेन अपर सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अक्तूबर 1970

सं० एफ० 8-25/69 एल० 2-जी० एस० आर०—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय भाषा संस्थान मनसा गंगोत्री मैसूर में विभिन्न श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के पदों की भर्ती की रीति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

(1) **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** : (1) ये नियम भारतीय भाषा संस्थान (श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4) के भरती नियम, 1970 के नाम से सम्बोधित होंगे

(2) इन नियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू समझा जाएगा;

(2) **अनुप्रयोग** : ये नियम इनके साथ अनुबद्धित सारणी (अनुसूची) के कालम एक में उल्लिखित पदों की भर्ती के लिए लागू होंगे;

(3) **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मान** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संलग्न वेतन मान वही होंगे, जो उक्त सारणी के कालम 2 से 4 तक में उल्लिखित है ।

(4) **भर्ती करने की विधि, आयु सीमा, तथा योग्यताएं** : उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु सीमा, तथा योग्यताएं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य मामलों में वही होंगे, जिनका उल्लेख उपर्युक्त सारणी के कालम 5 से 13 में किया गया है;

बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में रियायत दी जाये ।

(5) अयोग्यताएं :—
कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्त के योग्य नहीं होगा :—

(क) जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहता हो अथवा करने का समझौता किया हो, जिसका/जिसकी पति /पत्नी जीवित हो ;

(ख) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो, शादी करना चाहता हो अथवा शादी करने का समझौता किया हो ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि सन्तुष्ट हो कि ऐसी शादी उस व्यक्ति की दूसरी पार्टी को उनके स्वधर्म शास्त्र के अधीन क्षम्य हो, तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हों, तो उस व्यक्ति को इस नियम की कार्रवाई के जरिये छूट दी जा सकती है ।

निरंकार स्वरूप भटनागर, अवर सचिव

भारतीय भाषाओं की केन्द्रीय संस्था, मैसूर में

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या ये प्रवरण पद हैं अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा दूसरी योग्यताएँ
1	2	3	4	5	6	7
1. पुस्तकाध्यक्ष वर्ग 2	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 अराजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय	210-10-290-15-320-द० रो० 15-425	लागू नहीं होता	30 वर्ष	**अनिवार्य** :— 1. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि । 2. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा । 3. पुस्तकाध्यक्ष के दो वर्ष का अनुभव ।
2 उच्च श्रेणी लिपिक	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	130-5-160-8-200-द० रो० 8-256-द० रो० 8-280-10-300	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
3 अवर श्रेणी लिपिक	तीन	,, ,, ,,	110-3-131-4-155-द० रो० 4-175-5-180	लागू नहीं होता	21 वर्ष	**अनिवार्य** :— 1. मैट्रिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष योग्यताएं । 2. कम से कम 30 शब्द प्रति मिन्ट टाईपिंग की गति । बशर्ते कि :— (क) ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उक्त टाईपिंग की योग्यता नहीं है, उसे इस शर्त सहित नियुक्त किया जा सकता है कि जब तक वह 30 शब्द प्रति मिन्ट टाईप करने की चाल प्राप्त नहीं कर लेता, उसे वेतनमान में वार्षिक तरक्की, अथवा उस वर्ग के स्थायिक्ता के लिए अथवा स्थाई-करण के लिए योग्य नही होगा । (ख) एक व्यक्ति

श्रेणी 3 पदों के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं विभागीय पदोन्नतियों के मामलों में भी लागू होंगी	यदि कोई परीक्षण काल हो तो	भर्ती करने की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा, अथवा स्थानांतरण, द्वारा तथा पदों की प्रतिशतता को विभिन्न तरीकों द्वारा भरा जाना	पदोन्नति; हस्तांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड्स (वर्ग) जिनसे पदोन्नति की जानी है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	ऐसी परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के समय संघीय सेवायोग से परामर्श करना होता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
,, ,,	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति :** अवर लिपिक–3 वर्ष की इस वर्ग में सेवा सहित	विभागीय पदोन्नति समिति	,, ,,
,, ,,	दो वर्ष	*सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :—** अवर लिपिक वर्ग में 10 प्रतिशत पदों की श्रेणी 4 कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए अधोलिखित शर्तों पर सुरक्षित रखी जाएं (जो संस्थापना पर नियमित रूप से लिए गए हैं), अर्थात् :— (क) चयन एक विभागीय परीक्षा द्वारा ऐसे श्रेणी 4 कर्मचारियों को परिरुद्ध होगा, जो कम से कम आपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् मैट्रिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष योग्यता की प्रतिशति करते हैं। (ख) इस परीक्षा के ज्यादा से ज्यादा आयु 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के परीक्षार्थियों के लिए 45 वर्ष)। (ग) कम से कम श्रेणी 4 में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।	लागू नहीं होता	लागू नही होता	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
						शरीरिक अपंग होने के कारण जो अन्यथा लिपिक पद के योग्य है, परन्तु उक्त टाईपराईटिंग की योग्यता (धारणा) नहीं रखता उसे भी इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि यदि विशिष्ट नौकरी दिलाऊ दफ्तर से अनुबद्धित शारीरिक अपंगों के लिए चिकित्सक बोर्ड अथवा जहां ऐसे बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, सिविल सर्जन उक्त अपंग व्यक्ति टाईप न कर सकने की संपुष्टि करता है।
4. आशुलिपिक	चार	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	130-5-160-8-200-द० रो० 256 द० रो० 8-280-10-300	लागू नहीं होता	24 वर्ष	**अनिवार्य :—** 1. मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष। 2. अंग्रेजी की आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिन्ट की क्षमता। 3. अंग्रेजी टाईपराईटिंग में 40 शब्द प्रति मिन्ट की क्षमता।
5. कारचालक	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 अराजपत्रित गैर-लिपिक वर्गीय	110-3-131-4-139	लागू नहीं होता	30 वर्ष	**अनिवार्य :—** मोटर कार चलाने के लिए वैध-लाइसेन्स का होना, मोटर कारों की जानकारी, मोटर की जानकारी तथा मोटर कार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :—** आठवीं कक्षा पास।

8	9	10	11	12	13
		(घ) एक वर्ष में अवर लिपिक वर्ग में होने वाले पदों का इस विधि समितियों की ज्यादा ज्यादा संख्या 10 प्रतिशत तक सीमित होगी । अपूरतित पदों को अगले वर्ष में नहीं जायेगीं ।			
लागू नहीं होता	दो वर्ष	भारतीय भाषाओं की केन्द्रीय संस्था के ऐसे अवर लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों में से जो खाना 7 में निर्धारित रखते हैं, एक प्रतियोगिता परीक्षण द्वारा चयन होगा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	हस्तांनतरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	श्रेणी 4 के ऐसे कर्मचारियों में से जो खाने 7 में दी गई योग्यतायें रखते हैं, के हस्तानन्तरण द्वारा जो स्टाफ कार चालकों के लिए उनमें कार चलाने के पद के स्तर की क्षमता के हवाले सहित अभिकल्पित योग्यता, जिसे अनिवार्य समझा जाता है, का एक निर्णायक परीक्षण के फलस्वरूप होना चाहिए ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भारतीय भाषाओं की केन्द्रीय संस्था, मैसूर में

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या ये प्रवरण वर्ग के पद हैं अथवा अप्रवरण वर्ग के पद	सीधी भर्तियों के लिए अधिकतम सीमा	सीधी भर्तियों के लिए आपेक्षित शैक्षणिक तथा दूसरी योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. पुस्तकालय परिचर	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 अराजपत्रित	80-1-85-2-95-द० रो०-3-110	लागू नही होता	25 वर्ष	**अनिवार्य** :— माध्यमिक स्तर पास **वांछनीय** :— किसी पुस्तकालय में काम करने का अनुभव
2. चपरासी	चार	,,	70-1-80-द० रो०-1-85	,,	25 वर्ष	**अनिवार्य** :— माध्यमिक स्तर पास
3. फराश	एक	,,	70-1-80-द० रो०-1-85	,,	25 वर्ष	**वांछनीय** :— प्राथमिक स्तर
4. चौकीदार	एक	,,	70-1-80-द० रो०-1-85	,,	25 वर्ष	**वांछनीय** :— प्राथमिक स्तर
5. भंगी	एक	,,	70-1-80-द० रो०-1-85	,,	25 वर्ष	**वांछनीय** :— प्राथमिक स्तर

श्रेणी 4 पदों के लिए भर्ती नियम

क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं विभागीय पदोन्नति के लिए भी लागू होगी।	यदि कोई परीक्षाकाल हो तो	भर्ती करने की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा, अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा स्थानांतरण द्वारा, तथा पदों की प्रतिशतता को विभिन्न तरीकों द्वारा भरा जाना।	पदोन्नति, हस्तानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड्स (वर्ग) जिनसे पदोन्नति की जानी है।	यदि कोई विभागीय समिति है तो उसकी रचना क्या है।	ऐसी परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के समय संघीय सेवायोग से परामर्श करना होता है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता
" " "	दो वर्ष	" " "	" " "	" " "	" " "
" " "	दो वर्ष	" " "	" " "	" " "	" " "
" " "	दो वर्ष	" " "	" " "	" " "	" " "
" " "	दो वर्ष	" " "	" " "	" " "	" " "

नई दिल्ली , दिनांक 28 अक्तूबर, 1970

संकल्प

सं० एफ० 13-17/70 वाई० एस० I (1)—राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के विकेन्द्रीकरण तथा कोर के प्रशासन को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के हस्तांतरण के निर्णय होने पर यह निर्णय किया गया कि 2 अगस्त, 1967 के बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय में रिक्त हुए स्थानों को नहीं भरा जाएगा। अनुदेशकों के राज्य सरकारों को हस्तांतरण किए जाने में कई कारणों से विलम्ब हुआ है, तथा तब तक के लिए, कोर के दैनिक प्रशासन को चलाने हेतु 2 अगस्त, 1967 के बाद कुछेक नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई थीं। अनायास पदोन्नतियां, पक्षपात, अधिक्रमण आदि के आरोपों के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक-सदस्यीय आयोग के रूप में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐ सेवानिवृत्त अधिकारी, श्री सी० गणेशन को नियुक्त करने का संकल्प किया है।

2. विचारार्थ विषय में होंगे:—

(1) निम्नलिखित विविक्षाओं का मूल्यांकन—

(क) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में 2-8-67 के बाद में होने वाली पदोन्नतियों को रोकने के बारे में भारत सरकार का निर्णय ;

(ख) केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के कमरे में 6-2-1968 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय; और

(ग) संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी द्वारा 23 और 24 अप्रैल, 1968 तथा 7 नवम्बर, 1968 में हुई बैठकों में लिए गए निर्णय।

(2) 2 अगस्त, 1967 के बाद में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर में की गई पदोन्नतियों के बारे में भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों की जांच करने तथा यह निर्धारण करने के लिए कि उपरोक्त विषय सं० (1) में वर्णित निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए यह पदोन्नतियां कहां तक उचित थीं।

(3) 2 अगस्त, 1967 के बाद की गई पदोन्नतियों के मामलों में अधिक्रमण, पक्षपात और अन्याय की शिकायतों की जांच करने तथा यह निर्धारण करने के लिए ये शिकायतें कहां तक मौलिक हैं।

(4) यह निर्धारण करने के लिए कि उपरोक्त विषय सं० (1) में (ख) और (ग) में उल्लिखित निर्णयों के आधार पर अतिरिक्त पदोन्नतियां देने का क्या कोई आधार विद्यमान हैं।

(5) उपरोक्त विषयों की जांच करते समय जांच अधिकारी यह भी जांच करेगा कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय तथा/अथवा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अधिकारियों ने कोई भूल तो नहीं की और यदि की हो तो वह भूल कहां तक थी और वह उचित कार्रवाई क्या थी जो की जा सकती थी।

3. इस जांच के उद्देश्य के लिए, श्री गणेशन जांच के विषय से संबंधित किसी भी कागज को मंगवा सकते हैं तथा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन के किसी भी अधिकारी से, जिसे वे चाहें, साक्षात्कार कर सकते हैं।

4. श्री सी० गणेशन इस जांच के कार्य को 8 नवम्बर, 1970 से शुरू करेंगे तथा उस तिथि से तीन महीने की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देंगे। सचिवीय सहायता तथा कार्यालय का स्थान शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय द्वारा दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, गृह मंत्रालय, उपसचिव, (प्रशासन), आंतरिक वित्तीय सहायक (आई० एफ० ए०) वित्त मंत्रालय (शिक्षा एकक), बजट 1 अनुभाग, मुख्य सूचना अधिकारी तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

कांति चौधुरी, संयुक्त सचिव

संचार विभाग

डाक-तार बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर, 1970

संकल्प

सं० 14/1/70 पी० ए० पी०/पी० ई०-II—डाक तार विभाग में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्य संचालन की जांच तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं के पारिश्रमिक के आधार की समीक्षा करने के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से विचार करती रही है। अब भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक-दसस्यीय समिति बनाने का निश्चय किया है।

2. श्री मदन किशोर, सेवा-निवृत्त सदस्य, डाक-तार बोर्ड समिति के अध्यक्ष होंगे।

3. समिति अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्य संचालन की सामान्य रूप से जांच करेगी और मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये आवश्यक संशोधनों और सुधारों के संबंध में सुझाव देगी। विशेषकर, समिति :—

क—अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के पारिश्रमिक के आधार की तथा उनके भत्तों के सामयिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी;

ख—डाकघर के काम के सम्बन्ध में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दी गई सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच करेगी;

ग—ऐसे एजेंटों के लिए उपयुक्त आचरण और अनुशासन सम्बन्धी नियमों का सुझाव देगी;

घ—इस पर विचार करेगी कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों के लिए क्या-क्या योग्यताएं और अन्य शर्तें निर्धारित की जानी चाहिएं तथा उनको डाक-तार विभाग में नियमित पदक्रमों में ले लेने के लिए कैसी सुविधाएं दी जानी चाहिएं;

ङ—विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में जनता को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की जांच करेगी;

च—ऐसी सुविधाओं का सुझाव देगी जो कि उचित ट्रेड यूनियन कार्यकलापों के तौर पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के संघों को दी जा सकती है ;

छ—इस बात पर विचार करेगी कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उपदान देने की मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

4. समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मुद्दों का ध्यान रखेगी—डाक-तार विभाग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साधन और वित्तीय स्थिति, विकास सम्बन्धी आयोजना की मांगें तथा ऐसे स्थानों में मजदूरी और नौकरी की अन्य शर्तें जहां सामान्यतः अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियुक्त किए जाते हैं ।

5. समिति की जांच के दौरान यदि अंतरिम सहायता पर विचार करने का आवश्यकता महसूस हो तो समिति उस पर विचार करके रिपोर्ट भेज सकती है । यदि समिति अंतरिम सहायता देने की सिफारिश करती है । तो उसे यह भी सूचित करना चाहिए कि किस तारीख से ऐसी सहायता देनी चाहिए ।

6. समिति अपने कार्य की प्रगति से वेतन आयोग को समय समय पर अवगत कराता रहेगा ।

7. समिति अपनी कार्यप्रणाली खुद ही बना लेगी और ऐसी सूचना और प्रमाण प्राप्त कर सकती है जो भी वह आवश्यक समझे ।

8. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

9. समिति बनने की तारीख एक वर्ष के भीतर वह अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम सूचना के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि वेतन आयोग, डाक तार महालेखापाल तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

ए० स्वामिनाथन, सदस्य,
(प्रशासन) और पदेन संयुक्त सचिव

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 1970

संकल्प

सं० VII टी० एल० (1)/70—पर्यटन कार परिचालकों को, पर्यटकों के प्रयोग के लिए कारों का क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एक योजना भारत सरकार के संकल्प सं० 6 ए० एच० सी० (6)/64 दिनांक 16 जनवरी, 1970 द्वारा स्वीकृत की गई थी और पर्यटक परिवहन गाड़ियों की किराया-खरीद (हायर परचेज) से सम्बन्धित अनुदेशों के रूप में दिनांक 31 जनवरी, 1970 को भारत-राजपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

यह निर्णय किया गया है कि आर्थिक सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित कतिपय शर्तों को उदार बनाया जाए । यथा-संशोधित योजना अनुबन्ध में दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और आम सूचना के लिए इसे भारत-राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० सहगल, सचिव

अनुबन्ध

पर्यटन परिवहन गाड़ियों को किराया-खरीद (हायर परचेज) से सम्बन्धित अनुदेश

(1) उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य, पर्यटक गाड़ियों के परिचालकों को, पर्यटक प्रयोजनों के लिये कारों का क्रय करने हेतु, आर्थि सहायता प्रदान करना है ।

(2) परिभाषाएं

इन अनुदेशों में, जब तक प्रसंग द्वारा कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, तब तक :—

(क) समिति का तात्पर्य इन अनुदेशों के पैरा 3 के अधीन गठित की गई समिति से है ।

(ख) महानिदेशक का तात्पर्य पर्यटन के महानिदेशक से है ।

(ग) सचिव का तात्पर्य इन अनुदेशों के पैरा 3 के अधीन गठित की गई समिति के सचिव से है ।

(घ) गाड़ी का तात्पर्य पर्यटकों के परिवहन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पर्यटक परिवहन मोटर गाड़ी से है ।

(ङ) व्यापारी का तात्पर्य उस व्यापारी से है जो सम्बन्धित गाड़ी के मेक के विनिर्माताओं, आयात-कर्ताओं, वितरणकर्त्ताओं अथवा स्टाकिस्टों द्वारा प्राधिकृत गाड़ियों का व्यापार करता है और इसमें भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड), शामिल है ।

(३) समिति का गठन

(क) इन अनुदेशों के अधीन गाड़ियों की किराया-खरीद हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्य करने के लिये एक समिति गठित हो जायेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1.	पर्यटन का महानिदेक	पदेन अध्यक्ष
2.	मार्केटिंग मैनेजर (आई० सी० डी० एस० टी० सी०	पदेन सदस्य

3. वित्त मन्त्रालय का उप वित्तीय सलाहकार (पर्यटन या वित्त मन्त्रालय द्वारा नामित अन्य अधिकारी — पदेन सदस्य

4. सचिव, अंतर्राज्य परिवहन आयोग, नौ-परिवहन और परिवहन मन्त्रालय। — पदेन सदस्य

5. विधि सचिव द्वारा नामित, विधि मन्त्रालय का एक अधिकारी — पदेन सदस्य

6. उप महानिदेशक, पर्यटन विभाग — पदेन सदस्य सचिव

(ख) बैठक में तीन सदस्यों के उपस्थित होने से कोरम पूरा माना जाएगा और बैठक के कार्यवृत पर अध्यक्ष के और उसकी अनुपस्थिति में सचिव तथा एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामले समिति द्वारा उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की वोटों साधारण बहुमत के आधार पर निर्णीत किए जाएंगे और समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा।

(4) **गाड़ियों के वर्ग**

इन अनुदेशों के अधीन केवल निम्नलिखित वर्ग की गाड़ियों की बाबत ही किराया-खरीद की जा सकेगी :—

1. मोटर कारें- नई और बरती हुई (सैकण्ड हैण्ड)
2. डीलक्स टाइप की मिनीबसें और ओमनीबसें।

(5) **किराया-खरीद के लिए आवेदन**

गाड़ी की किराया खरीद का आवेदन इन अनुदेशों के परिशिष्ट I में दिये गये प्रपत्र के अनुसार होगा और उसे ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित समिति के सचिव को 6 अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) **आवेदकों की पात्रता**

(क) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए गए केवल वही गाड़ी परिचालक आवेदन करने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(1) विभाग द्वारा पर्यटक कार परिचालक के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने की तारीख से परिचालक को कारें परिचालित करते हुए कम से कम एक वर्ष हो गया हो और वह उनका इस दौरान स्वामी भी रहा हो।

(2) उसकी कम से कम तीन गाड़ियां चलती हों और उनका वह स्वामी हो।

(3) वह विभागीय अनुदेशों, नियमों, अथवा विनियमों में किसी का उल्लंघन करने या विभाग के साथ किये गये किसी भी करार अथवा संविदा को भंग करने का दोषी न पाया गया हो।

(ख) किराया-खरीद के आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी संलग्न किये जाने चाहिएं :—

(1) आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र

(2) पिछले तीन वर्षों के पर्यटन व्यवसाय का लेखा परीक्षित हानि-लाभ लेखा और तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट)

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में किये गये विदेशी मुद्रा के उपार्जन को, यदि कोई हो तो, दिखाने वाला विवरण जिसे सम्बद्ध यात्रा अभिकर्त्ताओं, होटलों, हवाई कम्पनियों, बैंकों, आदि द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित किया गया हो।

(7) **आवेदन पत्र की संवीक्षा**

सचिव उसे प्राप्त हुए आवेदन को ध्यान पूर्वक संवीक्षा कराएगा तथा आवेदन-पत्र के भाग 'ख' में उसके बारे में अपने विचार अंकित करेगा और शीघ्र से शीघ्र उसे समिति के सामने विचारार्थ रखेगा।

(8) **समिति का निर्णय**

समिति का निर्णय आवेदन पत्र के भाग 'ग' में दर्ज किया जायेगा और उस पर अध्यक्ष के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में, एक सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(9) **सरकार द्वारा अंशदान**

गाड़ी व्यापारी से राष्ट्रपति के नाम जिसका उल्लेख इसके आगे, सरकार शब्द से किया जायेगा, खरीदी जाएगी और सरकार द्वारा दिया गया अंशदान गाड़ी की कुल कीमत के 2/3 अथवा 60,000 रुपयों से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा। गाड़ी की शेष कीमत का भुगतान, नीचे पैरा 11 के अनुसार किराया खरीद के करार का निष्पादन करने से पहले, आवेदक द्वारा गाड़ी की खरीद के लिये महानिदेशक को एक-मुश्त रूप में किया जायेगा।

(10) **करार का निष्पादन**

गाड़ी की खरीद के लिये महानिदेशक को अपने अंशदान का भुगतान करने के बाद आवेदक, उक्त गाड़ी की बाबत, सरकार के साथ एक किराया खरीद के करार का निष्पादन करेगा।

(11) **गाड़ी की सुपुर्दगी**

ऊपर पैरा 9 में उल्लिखित अदायगी करने के पश्चात् और ऊपर पैरा 10 में उल्लिखित किराया खरीद के करार के निष्पादन करने के बाद सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर आवेदक, सरकार की ओर से गाड़ी ले लेगा और तदुपरान्त गाड़ी पर सरकार का स्वामित्व हो जायेगा।

(12) **किराये की किस्तों की अदायगी**

आवेदक, गाड़ी की कीमत में सरकार के अंशदान की वापसी ब्याज सहित, किराए की त्रैमासिक किस्तों में करेगा, जो 16 से अधिक नहीं होंगी। पहली किस्त, सरकार द्वारा व्यापारी को कीमत का भुगतान करने के तीन महीने बाद देय हो जायेगी। भुगतान के लिये नियत तारीखों तथा किराए की किस्तों की राशि का निर्देश ऊपर पैरा 10 में निर्दिष्ट किराया-खरीद के करार में होगा। किराए की प्रत्येक किस्त की राशि इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे सरकार को अपने अंशदान पर, व्यापारी को कीमत की अदायगी करने के समय प्रचलित बैंक दर से

4½% वार्षिक अधिक की दर पर ब्याज मिल सके। सरकार के अंशदान ब्याज में 2½% कटौती प्रदान की जायेगी। यदि किरायों की किस्तो की अदायगी, करार में नियत की गई तारीखों पर अविलम्ब रूप से कर दी जायेगी और आवेदक द्वारा अन्य कोई त्रुटि न की गयी होगी। करार में, घटौती की राशि का, और उसके साथ साथ अविलम्ब अदायगी करने के मामलो में देय निवल-राशि का भी निर्देश किया जायेगा। आवेदक को, किन्हीं भी किराए की किश्तो के निर्धारित समय पर न दिये जाने की स्थिति में उनकी राशियो पर त्रुटि की तारीख से किस्त की अदायगी की तारीख तक, व्यापारी की कीमत की अदायगी करने के समय प्रचलित बैंक-दर से 4½% वार्षिक अधिक की दर पर देना होगा।

(ख) किराए की प्रत्येक त्रैमासिक किस्त जहां तक कि किराये की किस्त के मूलधन भाग का सम्बन्ध है, आवेदक द्वारा चालान तीन प्रतियों में भर कर सरकारी खजाने के खाते में सेक्शन 'पी० केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले कर्ज और पेशगिया-स्थानीय निधियो को कर्ज—गैरसरकारी पार्टिया आदि–विविध कर्ज और पेशगिया–अन्य पार्टिया को कर्ज के अन्तर्गत जमा कराई आएगी और जहा तक किराए की प्रत्येक किस्त के ब्याज भाग का सम्बन्ध है, उसे प्राप्ति—शीर्ष 'XVI' ब्याज—सी० अन्य प्राप्तिया–केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये कर्ज और पेशगियो पर ब्याज विविध कर्ज और पेशगिया अन्य पार्टियो को दिये गयें कर्ज पर ब्याज, मे जमा कराया जायेगा। किराये की प्रत्येक किस्त से सम्बन्धित मूलधन और ब्याज की राशियो का किराया खरीद के करार मे पृथक-पृथक निर्देश किया जायेगा।

(ग) जब उपरोक्त राशिया सरकारी खजाने मे जमा करा दी जाए तो रसीदी चालान की एक प्रति सचिव को भेजी जाएगी।

(13) आवेदक के अंश की वापसी

ऊपर के पैरा 9 में निर्दिष्ट गाड़ी की कीमत मे आवेदक के अंश की प्राथमिक एक-मुश्त राशियो की सरकार को प्राप्ति हो जाने पर यदि सरकार किसी कारण से गाड़ी नही लेती तो आवेदक द्वारा अदा की गई उक्त राशिया आवेदक को लौटा दी जाएंगी। आवेदक सरकर से उक्त राशियो पर ब्याज लेने का हकदार नही होगा।

(14) आवेदक का अधिकार

सरकार को किराये की सभी त्रैमासिक किस्तो की और साथ ही किराया खरीद के करार के अधीन आवेदक द्वारा सरकार का देय अन्य किसी भी धन-राशि की पूरी-पूरी अदायगी करने के बाद आवेदक की वह अधिकार होगा कि वह गाड़ी का स्वामित्व बदलवा कर अपने नाम करवा ले।

(15) करार का समापन

यदि आवेदक, किराये की त्रैमसिक किस्तो की अदायगी उन तारीखों पर नही करता जिन पर कि वे देय होती हैं तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऊपर पैरा 10 के अधीन निष्पादित करार को समाप्त कर दे, और इस प्रकार करार की समाप्ति होने पर आवेदक द्वारा दी गई राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और समिति आगे पैरा 25 मे विनिर्दिष्ट कार्रवाही कर सकती है।

(16) गारंटी

वापसी की समस्त अवधि, के लिये, जिसमें बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो तो वह भी शामिल होगी किराए की किस्तो की समस्त राशि की यथोचित वापसी के लिये आवेदक एक गारटी देगा :

(क) जिसके अनुसार वह अपने फ्लीट मे से किसी दूसरी अभार-ग्रस्त (अन-एनकम्बर्ड) गाडी को जो समिति मंजूर हो, समिति की संतुष्टि के अनुसार दृष्टि-बंधक रखेगा।

अथवा

(ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त परिचालक से एक अभार-ग्रस्त गाड़ी को, जो समिति की मंजूर हो, दृष्टि-बंधक रखा कर समिति की सतुष्टि के अनुसार एक गारंटी देगा।

गारंटी तब तक चालू रहेगी जब तक कि किराये की सारी किस्तों की अदायगी पूरी न हो जाये और आवेदक द्वारा निष्पादित किराया खरीद के करार की शर्तों के अनुसार गाडी का स्वामित्व आवेदक को हस्तातरित न हो जाये तथा सरकार की इस सम्बन्ध मे सन्तुष्टि न हो जाये कि आवेदक से प्राप्त कोई राशि अब देय नही रही है।

(17) गाड़ी का बीमा

आवेदक अपने खर्च पर गाड़ी का सभी प्रकार के जोखमों के विरूद्ध उस के बाजार के अनुसार, पूरे मूल्य के लिये, जीवन बीमा निगम अथवा समिति द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य बीमा कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से बीमा करवाएगा और उसको उतनी ही राशि के लिये अथवा उस राशि के लिये अथवा उस राशि के लिये जो किराये की शेष किस्तों के पूर्णयोग से कम न हो, तब तक बीमा करवाये रखेगा, जब तक की किराये की समस्त किश्ते चुका न दी जाएं और गाडी का स्वामित्व आवेदक को हस्तांतरित न हो जाये। आवेदक बीमा-प्रमाण-पत्र अपने पास रखेगा, जबकि बीमे की पालिसी सचिव के पास जमा करानी होगी। इस प्रकार तैयार कराई गई बीमे की पालिसी मे एक इस आशय का प्रावधन (क्लाज) होगा कि केन्द्रीय सरकर इस पालिसी में अपना स्वत्वाधिकार रखती है और इस बीमे की पालिसी के अधीन जो भी धन-राशियां देय होंगी उन सबका भुगतान सरकार को किया जायेगा।

(18) किराया खरीद के करार के अधीन पूरी देय धन-राशि का भुगतान किया जाने पर बीमे की पालिसी में से उपरोक्त आशय का पृष्ठांकन (एंडोसमेंट) हटा दिया जायेगा।

यह आवेदक का दायित्व होगा कि वह बीमा-पालिसी को तब तक चालू रखे जब तक कि किराया-खरीद के करार के अनुसार गाडी पर उसका स्वामित्व नहीं होता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह बीमे की पालिसी की किश्तो की राशि भुगतान की तारीखों से काफी पहले भेजेगा और बीमे की प्रदत्त किस्तो की रसीदों को वार्षिक रूप से भेजता रहेगा तथा गाड़ी से सम्बन्धित मौजूदा बीमा पालिसी की समाप्ति से 21 दिन पूर्व उन रसीद/रसीदो को सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(19) गाड़ी का निरीक्षण

आवेदक, गाड़ी के क्रय के एक सप्ताह के भीतर तथा उसके बाद जब तक गाड़ी सुपुर्दगी की तारीख के बाद एक लाख मील न चल चुकी हो, या गाड़ी की सुपुर्दगी के बाद तीन साल न बीत चुके हों, अथवा सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद गाड़ी का स्वामित्व आवेदक के नाम हस्तांतरित न हो चुका हो, इन में जो भी बाद में हो, तब तक किसी भी समय, गाड़ी लॉग-बुकों, और लेखा-पुस्तकों को महानिदेशक द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष निरीक्षण के लिये, तुरन्त पेश करेगा। लाग-बुक में अन्य बातों के साथ-साथ कालक्रमानुसार जिन पर्यटकों/व्यक्तियों, को लिये गाड़ी का प्रयोग किया गया हो, और जिन स्थानों की गाड़ी द्वारा यात्रा की गयी हो तथा जितनी मील दूरी तय की गई हो, इत्यादि सब बातों से सम्बन्धित प्रविष्टियां भी दर्ज होनी चाहियें। लाग-बुक के परिशिष्ट में गाड़ी के अनुरक्षण, मरम्मत, पुर्जों की रद्दोबदल तथा उन पर हुए व्यय का भी निर्देश होना चाहिये।

(20) आवेदक हर समय गाड़ी का अपनी लागत पर अनुरक्षण करता रहेगा। ताकि वह हर समय अच्छी हालत में चलती रहे। यदि ऊपर पैरा 19 में अपेक्षित गाड़ी के निरीक्षण के दौरान यह बात दृष्टि में आये कि गाड़ी का अनुरक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वह आवेदक द्वारा की गई चूक समझी जायेगी और सरकार को गाड़ी पर तुरन्त कब्जा करने का अधिकार होगा।

(21) सुपुर्दगी की तारीख से लेकर जब तक गाड़ी एक लाख मील न चल चुकी हो अथवा जब तक कि गाड़ी की सुपुर्दगी के बाद, यदि गाड़ी पुरानी है तो तीन वर्ष, और यदि गाड़ी नई है तो पांच वर्ष न बीत चुके हों, अथवा जब तक कि सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तान्तरित न हुआ हो इन में जो भी बाद में हो, तब तक आवेदक गाड़ी को बेचेगा, न उसका संक्रामण करेगा, न उसे गिरवी रख पाएगा और न उस पर कोई प्रभार (चार्ज) या भार (एनकम्बरैंस) ही उत्पन्न करेगा। सचिव को चाहिये कि वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उक्त आशय का एक पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) कराने की व्यवस्था करे।

(22) दीर्घावधि के लिये किराये पर देना

उपर्युक्त किराया खरीद करार के अधीन सरकार से ली जाने वाली गाड़ी किसी भी ग्राहक को, जो विदेशी पर्यटक नहीं है, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 7 दिन से अधिक की अवधि के लिये नहीं दी जायेगी।

(23) आवेदक का पर्यटन विभाग के प्रति दायित्व

आवेदक का यह दायित्व होगा कि सचिव या महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित 48 घंटे पूर्व लिखित सूचना दिये जाने पर विदेशी पर्यटकों को गाड़ी में ले जाने के लिए पर्यटन विभाग की मांग को पूरा करेगा। परन्तु यह दायित्व इस स्थिति के सापेक्ष होगा कि गाड़ी इस से पहले किसी अन्य विदेशी पर्यटक के लिये बुक न की गई हो।

(24) विवरण और विवरणियां भेजने का दायित्व

आवेदक, विदेशी पर्यटकों के नाम उनसे लिये गये किराये और अन्य ब्यौरों की बाबत, ऐसे सभी विवरण और विवरणियां प्रस्तुत करेगा जिनकी समिति द्वारा समय-समय पर मांग की जाये।

(25) आवेदन द्वारा हुई त्रुटियां

यदि किराये की किसी भी किस्त के भुगतान में अथवा किराया खरीद के करार की शर्तों में किसी एक के भी पालन में आवेदक से चूक होती है तो समिति अपने संविवेक पर, और मामले के गुण-दोषों पर विचार करते हुए :

(क) आवेदक के खर्चे पर, गाड़ी पर कब्जा कर सकती है, और/या।

(ख) उपर्युक्त कार्रवाही के साथ-साथ या उसके बजाय आवेदक से प्राप्य शेष राशि की वसूली के लिये कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

(ग) त्रुटि को सर्वथा क्षमा कर सकती है, या।

(घ) भाड़ेदार द्वारा दी गई गारंटी को उस पर लागू कर सकती है।

(ङ) ऐसी अन्य शर्तों पर जिन्हें भी समुचित समझा जाए, यह मंजूर कर सकती है कि आवेदक गाड़ी पर कब्जा किये रहे।

(26) उक्त अनुदेशों का कार्य-क्षेत्र

निष्पादित किया जाने वाला किराया खरीद का करार पर्याप्त रूप से व्यापक एवं स्वतः पूर्ण होगा और इन अनुदेशों में दी गई विविध व्यवस्थाओं का अधिकार क्रमण करेगा।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi-1, the 28th November, 1970

No. 8/66/70-CS(II).—The rules for a competitive examination to be held by the Secretariat Training School, Department of Personnel in the Cabinet Secretariat, New Delhi for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Class IV staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service and Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible to compete for vacancies in the Lower Division Grade :

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations; and

(iii) in Grade VI of the IFS(B) if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Secretariat Training School, Department of Personnel in the Cabinet Secretariat. Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. The examination will be conducted by the Secretariat Training School, Department of Personnel in the Cabinet Secretariat in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

4 The dates on which and the place(s) at which the examination will be held at Delhi and selected Indian Missions abroad shall be fixed by the Secretariat Training School.

5. Any permanent regularly appointed temporary Class IV employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination:

I. *Length of Service.*—He should have rendered on 1st January, 1971 not less than 5 years approved and continuous service as a Class IV employee or in any higher grade in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service or Armed Forces Headquarters and/or Inter Service Organisations or in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad.

NOTE (1).—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Class IV employee in any Ministry or Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the offices participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service or in the offices participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Class IV employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad.

NOTE (2).—Class IV employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A class IV employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on transfer and continues to have a lien on a Class IV post for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II *Age*.—He should not be more than 40 years of age on 1st January, 1971 *i.e.*, must not have been born earlier than 2nd January 1931 For the Class IV employees of the Ministry of External Affairs, for appointment to Grade VI of the IFS(B), the age limit will be 45 years as on 1st January, 1971 The age limit of 45 years will be for 1971 examination only.

The age limit prescribed above will be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

III. *Educational Qualification.*—Candidates must have passed one of the following examinations or possess one of the following certificates:

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation Certificate for entry into service;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Government;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the Examination held by a recognised Higher Secondary School Multipurpose School in India, at the end of the *penultimate* year of a Higher Secondary Course Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Course of Education, Pondicherry;

(ix) Junior Examination of Jamia Millia Islamia Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (since inception);

(xii) 'Vinit' Examination of the Gujerat Vidyapith, Ahmedabad;

(xiii) The following French Examination of Pondicherry; (i) 'Bravet Elementaire' (ii) 'Bravet d' Enseignement, Primaire de Langue Indienne' (iii) 'Bravet d' etudesa du Premier Cycle (iv) 'Brevet D Enseignement Primaire Superieur de Langue Indienne' and (v) D' Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Educational Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna in East Pakistan;

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at Ordinary Level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Board, London at Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English; and

(xxviii) Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Board of Technical Education.

(xxix) Purva Madhyama (with English) or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi;

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result, may apply for admission to this examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is com-

pleted before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the School may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which, in the opinion of the School justifies his admission to the examination.

6. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than 3 times at the examination, this restriction being effective from the 1969 examination.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

7. The decision of the School as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

8. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the School.

9. A candidate who is or has been declared by the School guilty of impersonation or submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :

(a) be debarred permanently or for a specified period by the School from admission to any examination or appearance at any interview held by the School for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

10. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

11. After the examination, the candidates will be arranged by the School in three separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the School to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the Examination in the Central Secretariat Clerical Service Armed Forces Headquarters Clerical Service and Grade VI of IFS(B) respectively.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who, though not qualified by the general standard prescribed by the School for any Service/post may also be recommended if he is not found unfit for appointment to vacancies reserved for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes as the case may be in that Service/post.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to the Lower Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Lower Division Clerk on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the School in their discretion and the School will not enter into correspondence with them regarding the results.

13. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is eligible and suitable in all respects for appointment to the service.

14. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the displaced ex-Defence Service personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

15. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical type-writing tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE 1.—A candidate appointed on the results of the examination, who has already passed the type-writing test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of after one year's service This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

NOTE 2.—In addition to the concession referred to in Note 1 two advance increments absorbable in future increases will be granted to those who pass the typewriting test at 40 w.p.m. in English and 35 w.p.m. in Hindi within a period of one year from the date of appointment.

16. A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment as a class IV employee, or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on a class IV post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a class IV employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

M. K. VASUDEVAN,
Under Secretary.

APPENDIX

1. The subjects of the examination, the time allowed and the *maximum marks for each subject will be as follows :—*

Subject	Maximum marks		Time allowed
(i) General English and Short Essay.			
(a) Short Essay	100	300	3 hours
(b) General English	200		
(ii) General Knowledge. including Geography	100		2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer item (a) of paper (i) or paper (ii) or both either in Hindi or in English. item (b) of paper (i) must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so clearly in column 19 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Secretariat Training School has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks of written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) Short Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) General English—Candidates will be tested in the following :

(i) Drafting;

(ii) Precis' writing;

(iii) Applied Grammar; and

(iv) Elementary tabulation (To test candidates' ability in the art of compiling arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 28th November 1970

No. 8 70/70-CS-II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1971 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts, are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre);

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade II;

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade II;

(v) Posts of Stenographers in the office of the Election Commission, Delhi;

(vi) Posts of Stenographer in the office of the Central Vigilance Commission, Delhi;

(vii) Posts of Stenographers in the Department of Parliamentary Affairs, Delhi;

(viii) Posts of Stenographer in the Department of Tourism, Delhi;

(ix) Posts of Stenographer in the Directorate General, Research, Designs & Standards Organisation, Lucknow;

(x) Posts of Stenographer in the Directorate General, Ordnance Factories, Calcutta; and

(xi) Posts of Stenographer in other departments and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services, posts, mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st August, 1971.

NOTE 2.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers; and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Tests in English (cf. para 3 of Appendix I to the Rules).

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then;

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution;

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950 and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. A candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), shall not be permitted to compete more than twice at the examination, but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5(A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 24 years on 1st January, 1971 *i.e.,* he must have been born not earlier than 2nd January, 1947, and not later than 1st January, 1953.

(B) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Stenotypists in the various Departments/Offices of the Government of India or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist on 1st January, 1971 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers, on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission, in :—

(i) Central Secretariat Stenographers Service Grade II; or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service; or

(iii) Indian Foreign Service (B); or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

NOTE.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of P. & T. Deptt. shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 5(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(vi) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(x) up to a maximum of eight years if a candidate befence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(B) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A Stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist who is on deputation to an *ex*-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(vi) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vii) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India, at the end of the *ponultimate* year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(viii) Tenth Class Certificate from a recognised school preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(ix) Junior Examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) the following French Examinations of Pondicherry :

(i) 'Brevet Elementaire' (ii) 'Brevet d'Ensiegnement Primaire de Language Indianne' (iii) 'Brevet D'etudes du Premier Cycle' (iv) 'Brevet d'Enseignement Primaire Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular)'.

(xiii) Indian Army Special Certificate of Education;

(xiv) Higher Educational test of the Indian Navy;

(xv) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xvi) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xvii) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xviii) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna in East Pakistan;

(xix) School Leaving Certificate Examination of the Goverment of Nepal;

(xx) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxi) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxii) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-war);

(xxiii) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxiv) the 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xxv) Pass in the 5th Year of 'Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xxvi) Genral Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects inculding English; and

(xxviii) The Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Boards of Technical Education.

(xxix) Purva Madhyama (with English), or Old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Veranaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi.

Note 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided, the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this exmination.

NOTE 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he posses-ses qualifications, the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(c) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B).

(d) A person with more than three children will not be eligible for appointment to I.F.S. (B).

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or a temporary capacity must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra

and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes, Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

16. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service upto the required number and for appointment upto the number of unreserved vacancies in other Services/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service or for appointment to any other Service/post, with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for appointment to vacancies reserved in other Services/posts for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

17. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, at the time of his application (cf. col. 27 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointments to the Service/post.

20. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN
Under Secretary.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time Allowed	Maximum Marks
(i) English	3 hours	100
(ii) General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST). 300 Marks.

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer *paper (ii) General Knowledge*, of the Written Test, either *in Hindi or in* English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi will be required to take the Shorthand Tests, *also* in Hindi only; and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests *also* in English only.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi, should indicate their intention to do so in Col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

NOTE 2.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad, and exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at *any* Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

4. Paper (i) English, of the Written Test, must be answered in English by all candidates.

5. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

7. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

8. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

A. The Central Secretariat Stenographers' Service

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. (Persons promoted from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500/- in the scale).

Grade I : Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400/-).

Grade II : Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Grade III : Rs. 130—5—160—8—200—EB—256—EB—8—280.

(2) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or, if his work or conduct, in the opinion of Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit

(4) Persons recruited to Grade II of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.

(5) Persons recruited to Grade II of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons apponted to Grade II of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

B. Railway Board Secretariat Stenographers' Service

(a) The Service conditions of Stenographers' employed in the Ministry of Railways so far as recruitment, training, promotion, etc. are concerned, are regulated by the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service Scheme which is on the lines of the erstwhile Central Secretariat Stenographers' Scheme. This Scheme is now being further revised on the lines of the Central Secretariat Stenographers' Service Rules which have been issued recently.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers Sub-cadre

The scale of Grade II of the SSC of the Indian Foreign Service (B) is Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. The officers appointed to Grade II of the SSC of the I.F.S. (Branch 'B') will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade and Supply (Deptt. of Foreign Trade). They are, however, liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

During service abroad IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21, studying in India to visit their parents during the vacation subject to certain conditions.

(iv) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition of ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

The revised leave Rules, 1933 as amended from time to time will apply to members of the service subject to certain modifications. For service abroad except in some neighbouring countries, officers, are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

While in India, Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

NOTE.—The Stenographers sub-cadre of Indian Foreign Service (B) is being reorganised.

D. Armed Forces Headquarters Stenographers' Service

The AFHQ Stenographers' Service has, at present, two grades as follows :—

Stenographers Grade I (Class II—Gazetted)—Rs. 350—25—650.

Stenographers Grade II (Class II—non-Gazetted)—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

The posts in Grade I are filled by promotion from among Grade II Stenographers. Direct recruitment is made in Grade II only.

2. Persons recruited direct as temporary Stenographers Grade II will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may, from time to time, prescribe.

3. Stenographers Grade II recruited to AFHQ will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other Stations outside Delhi/New Delhi, where offices of Armed Forces Headquarters/Inter-Service Organisations may be located.

4. Stenographers Grade II will be eligible for promotion to the post of Stenographer Grade I in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations.

E. Election Commission of India

The Election Commission of India has at present the following categories of Stenographers :—

(i) Private Secretary to the Chief Election Commissioner of India in the scale of pay of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830 — 35—900 (promotees to the post are allowed a minimum salary of Rs. 500/- p.m. in the scale).

(ii) Senior Personal Assistants in the scale of pay of Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Promotees are allowed a minimum salary of Rs. 400/- p.m.)

(iii) Stenographers in the scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

(iv) Stenographers in the scale of pay of Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

The posts are not included in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed in posts included in the cadre of the Central Secretariat Stenographers' Service. The period of probation in respect of these posts is two years.

A certain percentage of vacancies in the scale of pay of Rs. 210—530 may have to be filled by promotion from the lower grade as may be decided in this behalf. Persons appointed as Stenographers in the scale of pay of Rs. 210—530 may, during the period of probation, be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Commission. They will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with t' rules in force from time to time in this behalf.

F. Department of Tourism

The posts of Senior Stenographers in the Department of Tourism are sanctioned in the revised scale of Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 and belong to General Central Service Class II (Non-Gazetted)—Ministerial. Senior Stenographers with at least five years service are eligible for promotion in the post of personal Assistant in the pay sca' Rs. 320—15—470—EB—15—530. Candidates appointed on the results of this examination will ordinarily be required to serve in the Headquarters establishment of the Departm' but may be required to serve any where in India.

G. Department of Parliamentary Affairs

The scale of pay for the posts of Stenographer in the Department is Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

H. Central Vigilance Commission, India

The posts of Stenographer in the Central Vigilance Commission carry a scale of pay of Rs 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Stenographer in the Central Secretariat Stenographers' Service, but these posts are not included in that Service.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 24th October 1970

CORRIGENDUM

No. F. 15/12/67-SW.5.—Please *substitute* the following for the existing para 3 of this Department Corrigendum No. F. 15/12/67-SW.5, dated the 12th March, 1970 :—

"3. The composition of the Board will be as follows :—

Chairman

1. Shri K. Hanumanthiya, Minister for Social Welfare.

Vice-Chairman

2. Shri Jaganath Rao, Minister of State for Social Welfare.

Members

3. Shri P. P. I. Vaidyanathan, Additional Secretary, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.
4. Shri M. C. Nanavatty, Adviser, Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.
5. Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Dealing with Jail Affairs.
6. Director, Police Research Development Office, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
7. Shri A. K. Srinivasamurthy, Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law, Government of India New Delhi.
8. Shri S. B. Bhattacharjya, Inspector General of Prisons, West Bengal.
9. Shri D. J. Jadhav, Director of Social Welfare, Maharashtra, Poona.
10. Shri E. L. Stracotty, Inspector General of Prisons, Tamil Nadu.
11. Shri H. C. Sexana, Inspector General of Prisons, Uttar Pradesh.
12. Shrimati S. M. Verma, Director, Social Defence, Gujarat.
13. Shri R. S. Khanna, Director of Social Welfare, Madhya Pradesh.
14. Shri K. Laxaman Rao, Director, Social Welfare, Mysore.
15. Shri R. P. Puri, Inspector General of Prisons, Punjab, Chandigarh.
16. Shri J. J. Panakal, Head of Department of Criminology and Correctional Administration, Tata Institute of Social Sciences, Bombay.
17. Shri Sushil Chandra, Prof. of Sociology, University of Lucknow.
18. Shri A. V. John, Retd. Inspector General of Prisons, Eranakulam, Cochin-15.
19. Smt. Sita Basu, Former Hony. Magistrate, Juvenile Court, Member, Faculty, Delhi School of Social Work, 3, University Road, Delhi-6.

Member-Secretary

20. Dr. (Smt.) Jyotsna H. Shah, Director, Central Bureau of Correctional Services, Ramakrishnapuram, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this corrigendum be sent to all the Members of the Committee, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st October 1970

No. 34(8)/68-*L.Ind.(II)(i)*.—In partial modification of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development Resolution No. 34(8)/68-L.IND(II), dated the 15th Oct. 1969 read with that of the 27th April, 1970, it has been decided to make the following change in the Panel for Glass and Ceramics Industries :—

Shri A. P. Sur — Member *vide* Dr. U. P. Ganguli
Director,
Sur Industries Ltd.,
163, Lower Circular Road,
Calcutta-14

ORDER

ORDERED also that the Resolution be published in the to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 34(8)/68-*L.IND(II)*(2).—In partial modification of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) Resolution No. 34(8)/68-L.IND(II)(2), dated the 15th October, 1969, read with that of the 27th April, 1970, it has been decided to include the following persons as Members in the Panel for Refractory Industry :—

Members

(1) Shri P. S. Sundaram, Superintendent (Refractories), Rourkela Steel Plant, Rourkela (Orissa).

(2) Shri I. C. Mody, Asstt. Supdt. (Refractories), Durgapur Steel Plant, Durgapur (West Bengal).

(3) Dr. M. R. Prasad, Supdt., Refractories Department Tata Iron and Steel Co., Jamshedpur.

(4) Shri D. N. Banerji, Brick Department Manager, India Iron and Steel Co. Ltd., Burnpur.

(5) Shri S. Vangala, Development Officer, Ministry of Steel and Heavy Engineering, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th November 1970

No. 3-5/69-*FD*.—In amplification of the Resolution of the Government of India in the then Ministry of Agriculture No. 6-20/49-F., dated the 19th June, 1950, as amended from time to time, the Government of India have decided that the Minister-in-charge of Forests, Maghalaya State, shall also be a member of the Central Board of Forestry Constituted thereunder.

ORDER

2. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

3. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 3-5/69-*FD*.—In partial modification of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture), No. 3-4/66-FD, dated 5th July, 1966, the Government of India have decided that the existing entry "(iii) Eastern Zone" in respect of the Standing Committee of the Central Board of Forestry, reconstituted thereunder, shall be *substituted* as follows :—

"(iii) Eastern Zone : Bihar, Orissa, West Bengal, Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura (NEFA will also be grouped with this Zone for Pre-Standing Committee meetings).

ORDER

2. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

3. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SONI, Inspector General of Forests
Ex-Officio Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 27th October 1970

*No. F.*8-25/69-*L.*2. *G.S.R.*—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various Class III and Class IV posts in the Central Institute of Indian Languages, Mansa Gangotri, Mysore, namely :—

1. *Short title and commencement*:—(1) These rules may be called the Central Institute of Indian Languages (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970.
(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Application* :—These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. *Number, classification and scale of pay* :—The number of posts, their classification and the scales of pay attached to them shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. *Method of recruitment, age limit, qualifications etc.* :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the maximum age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of persons belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

5. *Disqualifications* :—

(a) No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

N. S. BHATNAGAR, Under Secy.

Recruitment Rules for Class III Posts in the

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post of non-selection post	Upper age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Librarian Grade II	One	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Not Applicable	30 years	*Essential* (i) Degree of a recognised university. (ii) Diploma in Library Science of a recognised university. (iii) Two years' experience as a librarian.
2. Upper Division Clerk . . .	Two	General Central Service, Class III Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300	Non-Selection	Not applicable	Not applicable.
3. Lower Division Clerk . . .	Three	General Central Service, Class III non-gazetted, Ministerial.	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	Not applicable	21 years	*Essential* (i) Matriculation or equivalent qualifications; (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting, provided: (a) that a person not possessing the said qualefication in typbe writing may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scales or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting; and (b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicappeh or where there

Central Institute of Indian Languages, Mysore

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotions	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion & transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, transfer, grades from which promotion to be made	If a D. P. C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not appplicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By promotion	*Promotion* Lower Division clerk with 3 year's service in the grade.	DPC Class III	Not applicable
Not applicable	Two years	*By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

**Note* : 10% of the vacancies in the grade of Lower Division Clerks Shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment), subject to the following condition namely:—

(a) Selection would be made through a departmental examination confined to such class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification namely Matriculation or equivalent.

(b) The maximum age for this examination would be 40 years (45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates).

(c) At least 5 year's service in Class IV would be essential.

(d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10 % of the vacancies in the cadre of Lower Dividion Clerks occurring in a year; unfilled vacancies would not be carried over.

1	2	3	3	5	6	7
						is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.
4. Stenograhers	Four	General Central Service, Class III Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 130-5-160 8-200-EB-256-EB-8-280-10-300	Not applicable	24 years	*Essential* (i) Matriculate or equivalent. (ii) 100 words per minute speed in English shorthand (iii) 40 words per minute speed in English typewriting
5. Drivers.	Two	General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non Ministerial	Rs. 110-3-131-4-139	Not applicable	30 years	*Essential* Prossession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of motor cars, knowledge of motor mechanics and exprience of driving a motor car for atleast five years. *Desirable* : A pass in the 8th Standard.

Recruitment Rules for Class IV

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Upper Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1. Library Attendant	One	General Central Service, Class IV, Non-Gazetted	Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110	Not applicable	25 years	*Essential* Middle Standard Pass. *Desirable* Experience of having worked in a Library.
2. Peons . . .	Four	General Central Service, Class IV Non-Gazetted	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not applicable	25 years	*Essential* Middle Standard Pass.
3. Farash . .	One	General Central Service, Class IV Non-Gazetted	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years	*Desirable* Primary Standard
4. Chowkidar . .	One	General Central Service, Class IV Non-Gazetted	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years	*Desirable* *Primary Standard*
5. Sweeper . .	One	General Central Service, Class IV Non-Gazetted	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	25 years	*Desirable* Primary Standard

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By selection through a competitive test from amongst Lower Division Clerks/Upper Division Clerks in the Central Institute of Indian Languages who possess the qualifications prescribed in Col. 7 failing which by direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards in competence considered essential in drivers of staff cars from amongst the regular calss IV employees who possess the qualifications in Col. 7	Not applicable	Not applicable

Posts in Central Institute of Indian Languages, Mysore

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, transfer, grades from which promotion to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitments
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

New Delhi, the 28th October 1970

RESOLUTION

No. F. 13-17/70-*YS.*1(*I*).—Consequent upon the decision to decentralise the National Fitness Corps and to transfer the administration of the Corps to the various State Governments/Union Territory Administrations, it was decided not to fill up vacant posts in the National Fitness Corps Directorate after 2nd August 1967. The transfer of the instructors to the States has been delayed for various reasons and in the meantime certain appointments/promotions were made after 2nd August 1967 to carry on the day-to-day administration of the Corps. A number of representations have been received alleging fortuitous promotions, favouritism, supersessions, etc. In order to have a thorough investigation of these complaints, the Government of India have resolved to appoint Sri C. Ganesan, a retired officer of the Central Secretariat Service, as the one-man Commission for this purpose.

2. The terms of reference will be

(1) To assess the implications of :

(a) the decision of the Government of India on 2-8-67 to stop further promotions in the NFC Organisation;

(b) the decisions taken in the meeting held in the Union Education Minister's room on 6-2-1968; and

(c) the decisions taken in the joint consultative machinery meetings held on the 23rd and 24th April 1968 and on 7th November 1968.

(2) To inquire into the complaints received by the Government of India in regard to the promotions made in the NFC Organisation after 2nd August 1967, and to assess how far these promotions were justified in the light of the decisions mentioned in item No. (1) above.

(3) To inquire into the complaints regarding supersessions, favouritism and inequity in the matter of promotions after 2nd August 1967, and to assess how far these complaints are substantiated.

(4) To assess whether any grounds exist for granting additional promotions on the basis of the decisions mentioned at (b) & (c) of item No. (1) above.

(5) While inquiring into the items mentioned above, the inquiry officer will also inquire into the lapses, if any, on the part of the officers of the NFC Directorate, and/or the Ministry of Education and Youth Services in dealing with the matter, and if so, the extent of the lapse and the correct action that should have been taken.

3. For the purposes of this inquiry Shri Ganesan can call for any papers relating to subject of the enquiry and interview any officials of the Ministry of Education and Youth Services & N.F.C. Organisation as he deems necessary.

4. Shri C. Ganesan will start work on this inquiry on 8th November 1970 and submit his report to the Government of India within a period of three months from that date. Secretarial assistance and office accommodation will be provided by the Ministry of Education and Youth Services and the N.F.C. Directorate.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, P.M. Secretariat, Ministry of Home Affairs, D.S. (Admn.) I.F.A. Ministry of Finance (Education Unit) & B.T. Section and P.I.O. and Director General, NFC.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANTI CHAUDHURI, Joint Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, the 13th July 1970

RESOLUTION

No. VII-TL(1)/70.—With a view to provide financial assistance to tourist car operators for the purchase of cars for the use of tourists, a scheme was sanctioned in Government of India Resolution bearing No. 6-AHC(6)/54, dated the 16th January 1970 and published in the Gazette of India, dated the 31st January 1970, in the form of Instructions for the hire purchase of tourist transport vehicles.

It has been decided to liberalise certain terms and conditions for the grant of financial assistance. The scheme as amended is given in the Annexure.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. SAHGAL, Secy.

ANNEXURE

INSTRUCTIONS FOR THE HIRE PURCHASE OF TOURIST TRANSPORT VEHICLES

(1) *OBJECTIVE*

The objective of the scheme is to provide financial assistance to tourist car operators for purchase of cars for tourist purposes.

(2) *DEFINITIONS*

In these instructions unless the context otherwise requires :

(a) Committee means the Committee constituted under para 3 of the Instructions.

(b) Director General means the Director General of Tourism.

(c) Secretary means the Secretary of the Committee constituted under para 3 of these Instructions.

(d) Vehicle means the tourist transport motor vehicle used for transport of tourists.

(e) Dealer is one who deals in vehicles duly authorised by the manufacturers, importers, distributors or stockists of the make of the concerned vehicle and includes State Trading Corporation of India Ltd.

(3) *CONSTITUTION OF THE COMMITTEE*

(a) A committee shall be constituted to deal with the applications for the hire purchase of vehicles under these instructions and shall consist of the following :—

1. Director General of Tourism. —*Ex-Officio Chairman*

2. Marketing Manager (ICD) S.T.C. —*Ex-Officio Member*

3. Deputy Financial Adviser (T) Ministry of Finance or any other officer nominated by the Ministry of Finance. —*Ex-Officio Member*

4. Secretary, Inter-State Transport Commission, Ministry of Shipping and Transport. —*Ex-Officio Member*

5 An officer from the Ministry of law to be nominated by Law Secretary. —*Ex-Officio Member*

6. Dy. Director General Department of Tourism. —*Ex-Officio Member-Secretary.*

(b) Three Members present in person shall be a quorum for a meeting and the minutes of the meeting shall be signed by the Chairman or in his absence by the Secretary and a Member. All issues shall be decided by the Committee by a simple majority of votes of the Members present and voting and the Chairman of the Committee shall have a casting vote.

(4) *CATEGORIES OF VEHICLES*

Hire purchase under these instructions shall be only in respect of the vehicles of the following categories :

(1) Motor cars—new and second hand.

(2) Minibuses, omnibuses of the deluxe type.

(5) *APPLICATION FOR HIRE PURCHASE*

Application for hire purchase of vehicle shall be made in the form given in Appendix 1 of these instructions and shall be submitted with 6 additional copies to the Secretary of the Committee mentioned in para 3 *supra.*

(6) *ELIGIBILITY OF APPLICANTS*

(a) Only operators of vehicles on the approved list of the Department of Tourism who satisfy the undermentioned conditions are eligible to apply :

1. The operator should have been owning and running cars for at least one year from the date of his recognition as Tourist Car Operator by the Department.
2. He shall own and run at least a fleet of three vehicles.
3. He must not have been found guilty of violating any of the departmental instructions, rules or regulations or breach of any agreement or contract executed with the Department.

(b) The application for hire-purchase should be accompanied by the undermentioned documents :—

1. Income-tax clearance certificate.
2. Audited profit & loss account and balance sheet pertaining to the tourist business for the last 3 years.
3. A statement showing his earnings in foreign exchange, if any, for the 3 previous calendar years duly certified by the concerned Travel Agents, Hotels, Airlines, Banks, etc.

(7) *SCRUTINY OF THE APPLICATION*

The Secretary shall have every application received by him scrutinised carefully and record his views thereon in Part B of the application and place the same for consideration of the Committee as early as possible.

(8) *DECISION OF THE COMMITTEE*

The decision of the Committee shall be recorded in Part C of the application and signed by the Chairman or in his absence by a Member and the Secretary.

(9) *GOVERNMENT'S CONTRIBUTION*

The vehicle will be purchased from the dealer in the name of the President hereinafter called the Government and the Government's contribution towards the price of the vehicle shall not exceed 2/3 of the total price of the vehicle or Rs 60,000/- whichever is less. The rest of the price of the vehicle shall be paid by the applicant in one lumpsum to the Director-General towards the purchase of the vehicle before the hire-purchase agreement is executed as per para 11 *infra.*

(10) *EXECUTION OF THE AGREEMENT*

The applicant shall execute a hire-purchase agreement with the Government in respect of the vehicle on payment of his contribution towards the price of the vehicle to the Director-General.

(11) *DELIVERY OF THE VEHICLE*

After the payment mentioned in para 9 *supra* is made by the applicant to the Director-General and after the execution by him of the hire-purchase agreement mentioned in para (10) *supra* the application on being authorised in this regard shall take delivery of the vehicle on behalf of Government and thereupon the Government shall become the owner of the vehicle.

(12) *PAYMENT OF HIRE INSTALMENTS*

The applicant shall repay the Government's contribution towards the price of the vehicle together with interest in not more than 16 quarterly instalments of hire, the first instalment being payable three months after the date of payment of the price by the Government to the dealer. The due dates as well as the amounts of hire instalments will be indicated in the hire-purchase agreement mentioned in para 10 *supra.* The amount of each hire instalment shall be so determined as to yield an interest on Government contribution of 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of payment of the price, to the dealer. A rebate in interest of 2½% on the Government's contribution will be allowed if the hire instalments are paid promptly on the due dates mentioned in the agreement and the applicant has not committed any other default. The amount of rebate as well as the net amount payable in case of prompt payments will also be indicated in the agreement. Interest will be charged on the amounts of any hire instalments overdue at 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of payment of the price to the dealer from the date of default to date of payment.

(b) Each quarterly hire instalment shall be paid by the applicant in Government Treasury under a challan in triplicate for credit under Section "P-Loans and Advances by the Central Government—Loans to Local Funds—Private parties, etc.—Miscellaneous Loans and Advances—Loans to other Parties" so far as the principal part of the hire instalment is concerned and to the receipt head "XVI Interest—C. Other Interest—Receipts—Interest on Loans and Advances—Interest on Loans to other parties", the and Advances—Interest on Loans to other parties", the interest part of each hire instalment The amounts of principal and interest relating to each hire instalment will be indicated separately in the hire-purchase agreement.

(c) When the above said amounts are paid into the Government Treasury, one copy of the receipted challan shall be sent to the Secretary.

13. *REFUND OF THE APPLICANT'S SHARE*

After the receipt by the Government of the initial lumpsum amounts of the applicant's share of the price referred to in para 9 *supra* if the Government for any reason does not procure the vehicle the amounts so paid by the applicant shall be refunded to him and the applicant will not be entitled to interest thereon from Government.

14 *APPLICANT'S RIGHT*

On full payment to the Government of all the quarterly hire instalments as well as any other sum of money which may become payable to Government by the applicant under the hire-purchase agreement, the applicant shall have a right to get ownership of the vehicle transferred in his name

15. *TERMINATION OF THE AGREEMENT*

The Government reserves the right to terminate the agreement executed under para 10 *supra* if the applicant makes any default in the payment of the quarterly hire instalment on the dates on which they have become due

and on such termination the amount contributed by the applicant shall become forefeited to the Government and the Committee may take action as indicated in para 25 infra.

16. *GUARANTEE*

For the due repayment of the entire amount of hire instalments covering the full period of repayment, including extended period if any, the applicant shall furnish a guarantee

(a) by hypothecating to the satisfaction of the Committee another unencumbered vehicle acceptable to the Committee from his fleet.

OR

(b) a guarantee to the satisfaction of the Committee from another recognised operator in the form of hypothecation of an unencumbered vehicle acceptable to the Committee.

The guarantee shall remain in force till all the hire instalments are paid and the applicant gets the right of the ownership transferred in his name in terms of the hire purchase agreement executed by him and the Government is satisfied that nothing is due from the applicant.

17. *INSURANCE OF THE VEHICLE*

The applicant shall get the vehicle comprehensively insured for its full market value against all risks at his own cost with the LIC or any other Insurance Company approved by the Committee and shall always keep the vehicle so insured for the same amount or in any case not less than the aggregate of the remaining hire instalments till all the hire instalments are paid and the ownership of the vehicle transferred to the applicant. The applicant shall retain the insurance certificate with him while the insurance policy will be deposited with the Secretary. In the insurance policy so taken there shall be a clause to the effect that the Central Government is interested in the policy and that all moneys payable under the insurance policy will be paid to the Government.

18. After the full money payable under the Hire purchase agreement is paid the endorsement in the Insurance policy to the above effect shall be deleted.

It shall be the obligation of the applicant to keep the insurance policy in force till he becomes the owner of the vehicle as per the hire-purchase agreement. For this purpose he shall remit the amount of the premia on the insurance policy well before the due dates and send such premia receipt(s) annually and submit it (them) to the Secretary 21 days before the date of expiry of the existing insurance policy pertaining to the vehicle.

19. *INSPECTION OF THE VEHICLES*

The applicant shall produce the vehicle and the log books and the account books for inspection by any person authorised by the Director-General in that behalf within a week of the purchase of vehicle and also at any time thereafter till the vehicle has run one lakh miles after the date of delivery of the vehicle or till 3 years have expired from the date of taking delivery of the vehicle or till the ownership of the vehicle is transferred to the applicant after all the dues to the Government are paid whichever is later. The log book *inter alia* should contain entries chronologically written relating to the tourists/persons for whom the vehicles are used, places visited, mileage run etc. In the Appendix of the log book the particulars of maintenance, repairs, replacement of parts relating to the vehicle along with the expenditure incurred thereon should also be indicated.

20. The applicant shall at all times maintain the vehicle at his own cost so that it is always kept in good running condition. If at any time it is noticed during the inspection of the vehicle contemplated in para 19 supra that the vehicle is not being maintained properly, the applicant shall be deemed to have committed a default and Government shall have the right to take immediate possession for the vehicle.

21. The applicant shall not sell or alienate or mortgage or create any charge or encumbrance on the vehicle till the vehicle has run one lakh miles from the date of taking delivery or till 3 years in the case of second hand vehicle and five years in the case of new vehicles have expired from the date of taking delivery of the vehicle or the ownership is transferred to the applicant after all the dues are paid to the Government whichever is later. The Secretary should arrange to have an endorsement made to the above effect in the registration certificate.

22. *LONG TERM HIRE*

The vehicle held under hire purchase agreement as aforesaid from the Government will not be hired out to any customer who is not a foreign tourist for a period exceeding 7 days at a time without the prior permission of the Government.

23. *APPLICANT'S OBLIGATION TO TOURIST DEPARTMENT*

The applicant will be obliged to honour the requisition of the Tourist Department to carry foreign tourists at 48 hours notice in writing signed by the Secretary or the Director General. This obligation will, however, be subject to any prior booking of the tourist motor vehicle for any other foreign tourist.

24. *OBLIGATION TO SUBMIT STATEMENTS AND RETURNS*

The applicant shall submit such statements or returns regarding the names of foreign oturists, amounts of hire charged from them and any other particulars as may be called for by the Committee from time to time.

25. *DEFAULT BY THE APPLICANT*

If any default is committed by the applicant in the payment of any hire instalment or in complying with any of the terms of conditions of the hire purcharse agreement the Committee may at its discretion and depending on the merits of the case :—

(a) take possession of the vehicle at the cost of the applicant; and/or

(b) in addition to the above or in the alternative may seek to recover the amount remaining due from the applicant by any legal proceedings;

(c) condone the default altogether; or

(d) enforce the guarantee as furnished by the Hirer; or

(e) agree to the applicant retaining possession of the Vehicle on such further terms as may be deemed fit.

26. *SCOPE OF THESE INSTRUCTIONS*

The hire-purchase agreement to be executed shall be comprehensive and self-contained and will be in supersession of the various provisions in these instructions.

APPENDIX I

Application for the Hirepurchase of Tourist Transport Vehicle

1. Name of the applicant (with full business/office address, telephone No. etc.).

2. Particulars indicating whether the applicant is a proprietory concern or body corporate/an association of persons or otherwise. (A copy of registration certificate, date of incorporation, date of commencement of business etc. wherever applicable may be given. In case of individuals, age, father's name and residential address may be given).

3. Full particulars of the present assets of and income from the car hire business along with the audited profit & loss account and balance sheet for the previous three years duly certified by a Chartered Accountant (Income Tax Clearance Certificate as well as statement showing the applicant's earnings in foreign exchange for the three previous years duly certified by the concerned. Travel Agents, Hotels, Airlines, Banks etc. may also be attached).

4. Full particulars of the existing liabilities by way of loan from the Government or private or public bodies or any other individuals or others indicating the rate of interest, mode of repayment, the securities given against each and also whether there had been any default in repayment of these loans.

5. Income from any other business supported by a copy of the audited accounts and balance sheet for the last three years.

6. Particulars of any other properties or investment belonging to the applicant indicating whether they are encumbered or free from any encumbrance.

7. Particulars of Bank accounts with the name of the Bank and the branch supported by attested monthly summary of the transactions for the last three years.

8. No. of motor vehicles that are being owned and run at present with their full particulars, including names of drivers who can speak English. Indicate also the dates from which each vehicle is being owned and run.

9. Date of recognition of the applicant by the Department of Tourism as Tourist Car Operator (Particulars of letter No. & date conveying the approval may please be indicated).

10. Particulars of any other agreement or contract of any kind entered into by the applicant with the Government during the past 5 years.

11. Amount of contribution required from Government towards the price. (See para 9 of the Instructions).

12. The number of hire instalments in which the applicant proposes to repay the Government contribution with interest (See para 12 of the Instructions).

13. Particulars of other loans if any taken by the applicant for the purchase of this vehicle from any other source with details of interest payable, security offered and other conditions.

14. Total price of the vehicle and terms of payment etc. with the dealer.

15. Details of the vehicle proposed to be purchased and the name and complete address of the dealer from whom the vehicle is to be purchased.

16. Details of guarantee proposed to be furnished in respect of the due repayment of all hire instalments to the Government.

17. Other information, if any.

I hereby declare and state that I have fully gone through the Instructions for the hire purchase of tourist transport vehicle, and agree to the conditions mentioned therein. I further agree to abide by all the conditions of hire purchase as per terms of the hire purchase agreement the specimen form of which I have read and understood. The facts stated in this application are correct. I will use the vehicle as tourist taxi only in terms of the said Instructions and the agreement.

I further declare and state that I have not violated any departmental instructions, rules, or regulations or of any agreement or contract with the Government.

APPLICANT

Date :

Witnesses :

1

2.

PART B

The facts mentioned in the application have been verified and found correct except in regard to items........ for which no information is available with us.

The inspection report of the technical officer is enclosed (This will be necessary only in the case of second hand tourist transport vehicles). The application is recommended not recommended.

Secretary

PART C

The application was considered at the meeting of the Committee held on........and it was decided that a sum of Rs .... be sanctioned towards the price of the proposed vehicle subject to the normal terms/additional terms mentioned below

Chairman

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970